

Letter No.- NGT-322/81-7-2023-44(Writ)/2016

From,

Devendra Singh Chauhan,
Under Secretary,
Environment, Forest and Climate Change,
Government of Uttar Pradesh.

To,

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg, New Delhi.

**Environment, Forest and
Climate Change , Section-7**

Lucknow : Dated : 21 July, 2023

Sub:- Compliance Report of Hon'ble National Green Tribunal order dated 30.11.2022 passed in M.A. No. 91/2022 IN O.A. No. 670/2018 Atul Singh Chauhan Vs MoEF&CC & Ors.

Sir,

In compliance of order dated 30.11.2022 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in M.A. No. 91/2022 IN O.A. No. 670/2018 Atul Singh Chauhan Vs MoEF&CC & Ors., the Compliance Report on behalf of State of Uttar Pradesh approved by Chief Secretary, Govt. of U.P. is being annexed herewith.

It is requested that the said report may be presented before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

Encl:- As above.

Your Sincerely,


(Devendra Singh Chauhan)
Under Secretary.

Copy to :-

PPS to Hon'ble Chairman, Oversight Committee, NGT, Uttar Pradesh,
Lucknow.

BEFORE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

IN THE MATTER OF

M.A. No. 91 of 2022

In

Original Application No. 670 of 2018

In Re:

Atul Singh Chauhan

.....Applicant

Versus


Ministry of Environment, Forests and Climate Change & Ors.

.....Respondents

INDEX

S. No.	Particulars	Page Nos.
1.	Compliance Report is pursuance to the order dated 30.11.2022	1-8
2.	Annexure No.-1	9-17
3.	Annexure No.-2	18-23
4.	Annexure No.-3	24-29
5.	Annexure No.-4	30-35
6.	Annexure No.-5	36-39
7.	Annexure No.-6	40-63
8.	Annexure No.-7	64-67
9.	Annexure No.-8	68-71
10.	Annexure No.-9	72-74

Yours' Sincerely,


(Devendra Singh Chauhan)
Under Secretary

Compliance Report of directions passed by Hon'ble NGT vide order dated 30.11.2022 in MA no. 91/2022 (O.A. No. 670/2018) Atul Singh Chauhan vs MoEF&CC & Ors.

1. That Hon'ble NGT passed order dated 30.11.2022 in MA No. 91/2022 (O.A. No. 670/2018) Atul Singh Chauhan vs MoEF&CC & Ors. in the matter of functioning of Oversight Committee in the State of Uttar Pradesh after considering an application filed by the State of Uttar Pradesh. The operative portion of the order dated 30.11.2022 is reproduced below:

..... "5. It is now stated by the State that the Committee has monitored compliance of environmental issues in the last three years but in the changed situation, the State itself is in a position to effectively monitor compliance of all environmental issues by its own mechanism.

6. While stringent monitoring of compliance of environmental norms remains a challenge, Tribunal appointed Oversight Committee cannot be in perpetuity. Thus, while placing on record our appreciation for the work of the Oversight Committee, we can have no objection to the request of the State to evolve its own mechanism.

7. Accordingly, the Chief Secretary, UP may interact with the Committee for modalities to take over its work by a suitable mechanism, giving reasonable time to the Committee for the transition. "

2. That State of U.P. has already developed and fully functionalized a comprehensive three tier Monitoring Mechanism with well-defined monitoring protocol, in which regular monitoring is being done at District level and at State level. The monitoring at State is being undertaken at the level of dedicated monitoring committees under the chairmanship of Agriculture Production Commissioner/Principal Secretaries and subsequently by the Chief Secretary, Government of Uttar



Pradesh. The structure of Monitoring Mechanism is as detailed below:

A- At State Level:

The State has developed monitoring mechanism taking into consideration the requirement of statutes and various directions passed by Hon'ble NGT. The details of various Monitoring Committees constituted by State of Uttar Pradesh is as follows:

S.No.	Name of Committee	Chairperson	Work area
1	State Level Waste Management Monitoring Committee (WMC) O.M. No. 17/2019/NGT-261/55-Parya-2-2019-44(Writ)/2016 dated 14-06-2019	Additional Chief Secretary/ Principal Secretary Urban Development	Compliance of Waste Management Rules
2	Air Quality Monitoring Committee (AQMC) (Reconstitution of AQMC constituted earlier by Hon'ble NGT O.A. No. 681/2018, order dated 08-10-2018) O.M. No. 16/2019/NGT-260/55-Parya-2-2019-44(Writ)/2016 dated 14-06-2019	Additional Chief Secretary/ Principal Secretary Environment, Forest & Climate Change	Effective Air Pollution Control in the State and maintenance of Ambient Air Quality
3	River Rejuvenation Committee (RRC) (Reconstitution of RRC constituted earlier by Hon'ble NGT O.A. No. 673/2018, order dated 20-09-2018) O.M. No. 14/2019/NGT-258/55-Parya-2-2019-44(Writ)/2016 dated 14-06-2019	Agriculture Production Commissioner	Monitoring of various pollution sources and Conservation of all rivers in the State other than river Ganga

The Government Orders related to Monitoring Mechanism and Constitution of Committees at the State level are enclosed herewith and marked as **Annexure-1, 2 & 3.**

B. District and Commissioner Level:

- (i) A District Level Committee under the Chairmanship of respective District Magistrates has been constituted by O.M. No. 13/2019/NGT-257/55-Parya-2-2019-4(Writ)/2016 dated 14-06-2019 for monthly monitoring of all the Environmental issues and compliance of Environmental Laws. The Government Order related to Constitution of District Environmental Committee is enclosed herewith and marked as **Annexure-4.**
 - (ii) The District Level Committee has 28 Officers of all the concerned District Level Departments.
 - (iii) District Forest Officer is the convener of the Committee.
3. That it is humbly submitted that the State of Uttar Pradesh is fully sensitive and aware regarding strict compliance of the directions of Hon'ble Tribunal and also effective enforcement of the statutory provisions of the various Environmental Acts & Rules. The three tier Monitoring Mechanism is functioning effectively under the supervision of Chief Secretary in the State. These three committees under the Monitoring Mechanism at State level and District Environmental Committee at the District level are fully functional and are regularly monitoring the implementation of the orders of Hon'ble Tribunal along with other Environmental Compliances in the State. Chief Secretary, Government of U.P. also monitors important environment related matters and the orders



passed by Hon'ble NGT from time to time. The details of meetings held by State level Committees is given below:

Status of monitoring by different committees

AQMC	WMC	RRC/CMC
Meetings held- 14 (25.07.2019, 19.05.2020, 03.07.2020, 16.09.2020, 09.10.2020, 27.10.2020, 06.01.2021, 28.06.2021, 07.07.2021, 03.08.2021, 26.11.2021, 30.11.2021, 07.10.2022, 31.01.2023)	Meetings held- 05 (24.11.2020; 02.12.2020; 21.12.2020; 28.07.2021; 28.04.2022)	Meetings held- 16 (08.01.2020, 19.02.2020, 23.06.2020, 30.07.2020, 31.08.2020, 30.09.2020, 09.11.2020, 05.01.2021, 04.03.2021, 09.07.2021, 15.11.2021, 04.02.2022, 09.06.2022, 20.09.2022, 10.01.2023, 12.05.2023)

It is further submitted that 560 meetings have been held by District Environmental Committee in all the 75 Districts of the State. The date wise details of meetings of District Environmental Committees held are enclosed herewith and marked as **Annexure-5**.

4. That effective functioning of the Monitoring Mechanism in the State and regular monitoring of the progress of implementation of various orders passed by Hon'ble NGT time to time through this Mechanism has resulted in overall improvement of Air Quality, Solid Waste Management and River Water quality in the State. The air quality in 9 Non-Attainment Cities (NACs) and 7 Million Plus Cities (MPCs) improved considerably. Copy of report regarding performance assessment of NACs and MPCs dated 12.06.2023 received

from Central Pollution Control Board, Delhi is enclosed herewith and marked as **Annexure-6**.

5. That the State has formulated a time bound action plan for complete management of solid and liquid waste in the State as with well tied up financial resources detailed below:

(i) **Solid Waste Management (Urban):**

The State has 734 Urban Local Bodies (ULBs), from which 14,710 Ton Per Day (TPD) waste is generated and out of which 10,117 TPD (68%) waste is treated through existing solid waste treatment facilities. The State has prepared a time bound action plan for bridging the current gap of 4593 TPD. Additional processing capacity of 7,526 TPD will be developed by Dec, 2023.

(ii) **Solid Waste Management (Rural):**

The State has 57,785 Gram Panchayat (GPs) from which 11,959 TPD waste is generated and out of which 3,000 TPD waste is being processed. The State has prepared a time bound action plan for bridging the current gap of 8,959 TPD by Mar, 2025.

(iii) **Remediation of Legacy Waste:**

That in the State of Uttar Pradesh total reported Legacy Waste is approximately 91 Lakh Tons at 75 Sites. State has remediated 58 Lakh Ton Legacy Waste till now and has proposed to remediate all remaining Legacy Waste (33 Lakh Ton) by March 2024.



(iv) **Used Water Management:**

That the total Sewage Generated in the State is 5,500 MLD against which 122 STPs with treatment capacity of 3,860 MLD are operational. State has prepared a time bound action plan for bridging the current gap of 1,640 MLD by increasing additional treatment capacity to 1,858 MLD by June, 2025 and then total treatment capacity shall be 5,718 MLD. The State also has a future plan of installation of 317 STPs with treatment capacity of 1,593 MLD by Dec. 2025.

A brief status regarding action plan for solid and liquid waste management in the State is enclosed herewith and marked as **Annexure-7.**

That the effective monitoring with respect to time bound capacity building for treatment of liquid waste along with operation of the existing facilities in the State has resulted in bridging the gap of generated liquid waste and its treatment and improvement of water quality of the rivers. The water quality of the rivers in the State improved with respect to the standard monitoring parameters in 2022-23 (Dissolve Oxygen at 44 sampling points from 0.54 % to 261.13%, Bio Chemical Oxygen Demand at 48 sampling points from 1.40% to 50.49% and Total Coliform at 54 sampling points from 0.20% to 95.30%) as compared to that of year 2019-20. River water quality comparative results are enclosed herewith and marked as **Annexure-8.**



6. That effective monitoring also resulted in a milestone achievement with regard to remediation of chromium waste in Khanchandpur, Rania, Kanpur Dehat, where approx. 90,000 MT illegal Chromium Waste lying for several years was successfully lifted and disposed scientifically through existing Common Facilities. This has also resulted in improvement of Ground water quality of that area. This work is the first work in India where such a huge quantity of hazardous Chromium waste has been successfully disposed in record time.
7. That it is submitted that the monitoring mechanism developed by the State is functioning and the implementation of the order of Hon'ble Tribunal is being regularly monitored along with other Environmental Compliances in the State. The Chief Secretary, Government of U.P. also monitors important environment related matters and the order passed by Hon'ble NGT from time to time under this mechanism. The three tier monitoring mechanism is fully established in the State and is functioning effectively.
8. In compliance with the Hon'ble NGT order dated 30.11.2022, a meeting was held by Chief Secretary, Govt. of U.P. in his chamber with the Chairman and Member of Oversight Committee on 29.06.2023 for chalking out the modalities of transition of the work of the Committee to the Monitoring Mechanism developed by the State. After discussing about the reasonable time for transition, it was firmed up during the meeting that 45 days are adequate for the smooth transition. It will give adequate time to the Committee to wind up its activities and handover all heads to the Department of Environment, Forest & Climate Change. It will also give opportunity to State Pollution Control Board to lay off the



outsource personnel and get hold of all the official assets. It was informed to the Committee during the meeting that in compliance of the direction of Hon'ble Tribunal dated 30.11.2022, and in view of the three tier Monitoring Mechanism was effectively working in the State, the State's Monitoring Mechanism will completely take over and look after all the work of Oversight Committee with effect from 01.09.2023. Chief Secretary directed the Department of Environment, Forest and Climate Change, Government of Uttar Pradesh to receive official records along with office equipments, furniture's and building space etc. from the Committee within this time. Uttar Pradesh Pollution Control Board was directed to serve appropriate notice to office staff of the Committee, if necessary, for discontinuing their services from 01.09.2023. The minutes of meeting dated 29.06.2023 are enclosed herewith and marked as **Annexure-9**.

9. The State is thankful for the overall guidance provided by Hon'ble Oversight Committee for the last 3 years. The State is committed to ensure the environmental compliances and assures Hon'ble Tribunal that the three tier monitoring mechanism will monitor regularly the compliance of the orders of Hon'ble NGT in accordance with the previous guidance of Oversight Committee.
10. That the Compliance Report is submitted before Hon'ble Tribunal for further directions.


(**Devendra Singh Chauhan**)
Under Secretary.

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7
(पूर्व पर्यावरण अनुभाग-2)
संख्या-17/2019/एन.जी.टी.-261/55-पर्या-2-2019-44(रिट)/2016
लखनऊ : दिनांक : 14 जून, 2019

कार्यालय ज्ञाप

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-606/2018 Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 में पारित आदेश दिनांक 12.10.2018 द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016, अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमालिशन वेस्ट नियम, 2016, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्राविधानों का कार्यान्वयन एवं अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के लिए मा0 न्यायाधीश श्री देवी प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-606/2018 Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 में पारित आदेश दिनांक 16.01.2019 द्वारा उपरोक्त गठित समिति को संशोधित करते हुए ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016, अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमालिशन वेस्ट नियम, 2016, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016, ई-वेस्ट प्रबन्धन नियम, 2016 एवं परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्राविधानों का कार्यान्वयन एवं अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के लिए अनुश्रवण समिति का गठन निम्नवत् किया गया है-

- | | |
|--|---------------|
| i. मा0 न्यायमूर्ति श्री देवी प्रसाद सिंह | -अध्यक्ष |
| ii. सचिव, नगर विकास विभाग | -सदस्य |
| iii. सचिव, पर्यावरण विभाग | -सदस्य |
| iv. सचिव, ग्राम्य विकास विभाग | -सदस्य |
| v. सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग | -सदस्य |
| vi. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि | -सदस्य |
| vii. सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड | -सदस्य संयोजक |

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-606/2018 Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 में पारित आदेश दिनांक 16.01.2019 द्वारा गठित उपरोक्त अनुश्रवण समिति का कार्यकाल निम्नवत् निर्धारित किया गया है-

".....The Committees may work tentatively for six months or as may be found necessary."

(16)

- 2 -

2- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-606/2018 Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 में पारित आदेश दिनांक 26.04.2019 में प्रदेश के प्रमुख वायु प्रदूषित शहरों एवं किटिकली/सीरियसली प्रदूषित क्षेत्रों में व्याप्त वायु प्रदूषण नियंत्रण, प्रदेश की नदियों में विशेषकर प्राथमिकता वाले नदी खण्डों के प्रदूषण नियंत्रण, प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन, परिसंकटमय अपशिष्ट का सुरक्षित निस्तारण, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमालिशन अपशिष्ट प्रबन्धन, ई-वेस्ट प्रबन्धन, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र (ई0टी0पी0), संयुक्त उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र (सी0ई0टी0पी0) की स्थापना/संचालन से संबंधित कार्ययोजनाओं एवं नियमावलियों के अनुपालन का अनुश्रवण मुख्य सचिव, उ0प्र0 द्वारा करते हुए त्रैमासिक अनुपालन आख्या मा0 अधिकरण में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेश दिनांक 26.04.2019 के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश में समस्त अपशिष्ट प्रबन्धन नियमों यथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016, अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमालिशन वेस्ट नियम, 2016, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016, ई-वेस्ट प्रबन्धन नियम, 2016 एवं परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु की जाने वाली कार्यवाही तथा उक्त से सम्बन्धित कार्ययोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति का अनुश्रवण करते हुए मा0 अधिकरण के समक्ष अनुपालन आख्या नियमित रूप से प्रस्तुत की जानी है।

3- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-606/2018 Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 में मा0 अधिकरण के स्तर से गठित विभिन्न समितियों के अग्रेत्तर कार्य किये जाने के संबंध में दिनांक 26.04.2019 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गये हैं, जिसके सुसंगत अंश निम्न प्रकार हैं-

" 26. Vide order dated 05.03.2019, dealing with State of Himachal Pradesh, it has been directed that the Apex Committee is to conclude its proceedings by 30.04.2019 and furnish its final report. Thereafter, monitoring at apex level can be done by MoEF&CC and CPCB in terms of Rules 5 and 14 of the SWM Rules respectively and direction of this Tribunal vide order dated 22.12.2016 [Para 43(9)]. However, the State Level Committees as directed by the Tribunal headed by retired Judges and the Chief Secretaries will continue including the State and District Level Committees. After expiry of the six months term of the Committees, the Chief Secretary may take a decision whether such Committees are required to continue further. This direction is being issued as the Chief Secretaries have taken over the monitory".

4- उपरोक्त प्रस्तर-3 में वर्णित मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 26.04.2019 तथा प्रस्तर-1 में वर्णित मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 16.01.2019 द्वारा अनुश्रवण समिति हेतु निर्धारित कार्यकाल के दृष्टिगत मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 16.01.2019 द्वारा गठित अनुश्रवण समिति को दिनांक 15.07.2019 से समाप्त माना जाएगा।

5- मा0 अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-606/2018 Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 में पारित आदेश दिनांक 26.04.2019 के अनुपालन में प्रदेश में समस्त अपशिष्ट प्रबन्धन नियमों यथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016, अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमालिशन वेस्ट नियम, 2016, जैव

के

- 3 -

चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016, ई-वेस्ट प्रबन्धन नियम, 2016 एवं परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु की जाने वाली कार्यवाही तथा उक्त से सम्बन्धित कार्ययोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति के अनुश्रवण हेतु निम्नानुसार राज्य स्तरीय अपशिष्ट प्रबन्धन अनुश्रवण समिति गठित की जाती है-

- | | |
|--|-----------------|
| i. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग | -अध्यक्ष |
| ii. प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग | -सदस्य |
| iii. प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग | -सदस्य |
| iv. प्रमुख सचिव/सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग | -सदस्य |
| v. प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | -सदस्य |
| vi. प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग | -सदस्य |
| vii. प्रमुख सचिव/सचिव, पशुधन विभाग | -सदस्य |
| viii. प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम विभाग | -सदस्य |
| ix. प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायतीराज विभाग | -सदस्य |
| x. प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास विभाग | -सदस्य |
| xi. प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन | -सदस्य |
| xii. आयुक्त, वाणिज्यिक एवं मनोरंजन कर, उ०प्र० | -सदस्य |
| xiii. मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उ०प्र० लखनऊ | -सदस्य |
| xiv. सदस्य, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ | -सदस्य |
| xv. निदेशक, पर्यावरण विभाग, उ०प्र०, लखनऊ | -सदस्य |
| xvi. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड | -सदस्य |
| xvii. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ०प्र० | -सदस्य |
| xviii. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आंचलिक कार्यालय नार्थ जोन, लखनऊ | -सदस्य |
| xix. निदेशक, नीरी, नागपुर द्वारा नामित वरिष्ठ वैज्ञानिक | -विशेषज्ञ-सदस्य |
| xx. निदेशक, आई०आई०टी०आर०, लखनऊ द्वारा नामित वरिष्ठ वैज्ञानिक | -विशेषज्ञ-सदस्य |
| xxi. समिति के अध्यक्ष द्वारा यथावश्यकता नामित औद्योगिक संगठन, विशेषज्ञ, स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि आदि | -सदस्य |
| xxii. सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन | -समन्वयक |

6- उपरोक्त बिन्दु सं०-5 के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय अपशिष्ट प्रबन्धन अनुश्रवण समिति के कार्य दायित्व एवं Terms of References निम्नानुसार होंगे-

1/6
/

-4-

- i. मा0 अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-606/2018 Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 में पारित आदेश तथा मा0 अधिकरण द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु पारित अन्य आदेशों के अनुपालन की स्थिति का अनुश्रवण किया जाएगा।
- ii. अपशिष्ट प्रबन्धन नियमवार समिति के कार्य दायित्व एवं Terms of References

अपशिष्ट प्रबन्धन नियम	कार्य दायित्व एवं Terms of References
ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016	<ol style="list-style-type: none"> i. स्थानीय निकायों में Bye Laws बनाये जाने की प्रगति का अनुश्रवण। ii. प्रदेश में ठोस अपशिष्ट के डोर टू डोर एकत्रण एवं नियमानुसार सेग्रीगेशन की स्थिति। iii. ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण एवं निस्तारण हेतु प्रदेश में स्थापित व्यवस्था की उपयुक्तता का अनुश्रवण। iv. ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण एवं निस्तारण हेतु प्रदेश में स्थापित परन्तु बन्द पड़ी व्यवस्थाओं के पुनर्संचालन की स्थिति का अनुश्रवण। v. ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण एवं निस्तारण हेतु प्रदेश में प्रस्तावित व्यवस्थाओं के समयबद्ध संचालन की स्थिति का अनुश्रवण। vi. इनर्ट वेस्ट हेतु प्रदेश में सेनेटरी लैण्डफिल स्थापना की स्थिति का अनुश्रवण। vii. Legacy Waste के सुरक्षित निस्तारण हेतु कार्यों की प्रगति एवं प्रस्तावित समय-सीमा की उपयुक्तता का अनुश्रवण। viii. बल्क वेस्ट जनरेटर्स द्वारा नियमानुसार ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन किये जाने की स्थिति का अनुश्रवण। ix. प्रदेश में अपशिष्ट की Burning & Littering नहीं किये जाने सम्बन्धी अनुपालन का अनुश्रवण। x. ठोस अपशिष्ट से निर्मित ईंधन आर0डी0एफ0 का प्रयोग ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के नियम 18 के अनुसार उद्योगों में किये जाने की स्थिति का अनुश्रवण। xi. उच्च कैलोरिफिक अपशिष्टों का उपयोग सीमेन्ट किल्न अथवा तापीय विद्युत संयंत्रों में किये जाने के अनुश्रवण। xii. नियम 22 के अन्तर्गत प्राविधानित समय-सीमा के सापेक्ष कार्यों की प्रगति। xiii. ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधा हेतु बफर जोन अधिसूचित किये जाने की स्थिति का अनुश्रवण। xiv. ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्राविधानों के अनुपालन की स्थिति का व्यापक आंकलन।

10/

-5-

अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016	<ol style="list-style-type: none"> i. स्थानीय निकायों में Bye Laws बनाये जाने की प्रगति का अनुश्रवण। ii. प्रदेश में प्लास्टिक कैंरी बैग/कटलरी/थर्मोकोल उत्पाद पर नगर विकास विभाग के आदेश दिनांक 15.07.2017 द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध के अनुपालन का अनुश्रवण। iii. प्रदेश में अपशिष्ट प्लास्टिक के पृथक्करण, एकत्रण, परिवहन, प्रोसेसिंग एवं अन्तिम निस्तारण की स्थापित व्यवस्थाओं की उपयुक्तता का आंकलन तथा प्रस्तावित कार्ययोजनाओं की प्रगति का अनुश्रवण। iv. रिसाइकिल हेतु उपयुक्त प्लास्टिक अपशिष्ट को रिसाइकलर्स तक भेजे जाने की व्यवस्था की स्थापना का अनुश्रवण। v. अपशिष्ट प्लास्टिक का प्रयोग सड़क निर्माण, ऑयल के उत्पादन, ऊर्जा के उत्पादन में किये जाने की स्थिति। vi. प्लास्टिक अपशिष्ट के खुले में जलाये जाने पर प्रतिबन्ध के अनुपालन की स्थिति। vii. ब्राण्ड ओनर, प्रोड्यूसर द्वारा Extended Producer Responsibility के अन्तर्गत कृत कार्यवाही की समीक्षा। viii. प्रदेश में प्रयुक्त मल्टी लेअर पैकेजिंग पर उत्पादन का नाम, पंजीकरण संख्या तथा मोटाई प्रदर्शित किये जाने सम्बन्धी प्रावधान के अनुपालन की स्थिति। ix. प्रदेश में पंजीकृत प्रोड्यूसर, रिसाइकलर एवं मैनुफैक्चरर। x. खुदरा विक्रेताओं और पथ विक्रेताओं द्वारा मानकों के विपरित निर्मित प्लास्टिक उत्पाद नहीं उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी प्राविधान के अनुपालन की स्थिति। xi. नियम-17 के अन्तर्गत वार्षिक रिपोर्ट केन्द्रीय बोर्ड को प्रेषित किये जाने का अनुश्रवण। xii. अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016 के प्राविधानों के अनुपालन की स्थिति का व्यापक आंकलन।
कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमालिशन वेस्ट नियम, 2016	<ol style="list-style-type: none"> i. कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमालिशन (सी0 एण्ड डी0) वेस्ट के नियमानुसार प्रबन्धन हेतु राज्य नीति बनाये जाने की स्थिति। ii. प्रदेश में स्थापित सी0 एण्ड डी0 वेस्ट प्रोसेसिंग संयंत्र के संचालन हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकार प्रदान किये जाने की स्थिति का अनुश्रवण। iii. प्रदेश में सी0 एण्ड डी0 में वेस्ट की प्रोसेसिंग हेतु संयंत्र स्थापना के लिए भूमि आवंटन की स्थिति। iv. टाउन एण्ड कन्ट्री प्लैनिंग विभाग द्वारा सी0 एण्ड डी0 वेस्ट प्रोसेसिंग स्थल को महायोजना में सम्मिलित किये जाने की कार्यवाही का अनुश्रवण।

क

- 6 -

	<p>v. प्रदेश में प्रस्तावित सी0 एण्ड डी0 वेस्ट प्रोसेसिंग सुविधाओं की स्थापना एवं संचालन हेतु समयबद्ध कार्ययोजना की उपयुक्तता का आंकलन।</p> <p>vi. सी0 एण्ड डी0 वेस्ट से निर्मित मेटेरियल का प्रयोग सरकारी परियोजनाओं में 10 से 20 प्रतिशत किये जाने हेतु पी0डब्ल्यू0डी0 के Schedule of Rates में दरें निर्धारित किया जाना।</p> <p>vii. स्थानीय निकायो द्वारा सी0 एण्ड डी0 वेस्ट के एकत्रण की व्यवस्था विकसित किये जाने की प्रगति।</p> <p>viii. निर्माण परियोजनाओं जिनसे जनित वेस्ट 20 टन/दिन से अधिक हो द्वारा निर्माण प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वेस्ट प्रबन्धन योजना स्थानीय निकायों से स्वीकृत कराये जाने की स्थिति।</p> <p>ix. स्थानीय निकायों द्वारा सी0एण्ड डी0 वेस्ट एकत्रण की दरें अधिसूचित किये जाने की स्थिति।</p> <p>x. सेवा प्रदाताओ जिनके द्वारा जल, सिवरेज, टेलीफोन, सड़क, ड्रेनेज की सुविधा प्रदान की जाती हैं द्वारा विस्तृत वेस्ट प्रबन्धन योजना बनाये जाने एवं समस्त जनित सी0 एण्ड डी0 वेस्ट को दैनिक हटाये जाने सम्बन्धी कार्य स्थानीय निकायों से विचार-विमर्श कर सम्पादित किये जाने की समीक्षा।</p> <p>xi. स्थानीय निकायों द्वारा सी0 एण्ड डी0 वेस्ट के सुरक्षित निस्तारण हेतु Information, Education & Communication System विकसित किये जाने की स्थिति का अनुश्रवण।</p> <p>xii. कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमालिशन वेस्ट नियम, 2016 के प्राविधानों के अनुपालन की स्थिति का व्यापक आंकलन।</p>
<p>जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016</p>	<p>i. जैव चिकित्सा अपशिष्ट का नियमानुसार पृथक्करण श्रोत पर किये जाने का अनुश्रवण।</p> <p>ii. अपशिष्ट का नियमानुसार परिवहन, संयुक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट शुद्धिकरण सुविधाओं में किये जाने तथा परिवहन हेतु बार-कोड व्यवस्था एवं जी0पी0एस0 युक्त वाहनों का प्रयोग किये जाने की स्थिति का अनुश्रवण।</p> <p>iii. अपशिष्ट के निस्तारण हेतु स्थापित संयुक्त एवं कैप्टिव सुविधाओं में इन्सीन्टेर की तकनीक नियम 5 (q) के अनुसार उच्चिकृत किये जाने की स्थिति।</p> <p>iv. चिकित्सा सुविधाओं एवं संयुक्त उपचार सुविधाओं द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार एवं सहमति जल/वायु प्राप्त किये जाने की स्थिति।</p> <p>v. दोषी इकाईयों के विरुद्ध कार्यवाही का अनुश्रवण।</p>

कन

- 7 -

	<p>vi. प्रदेश में स्थापित संयुक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण सुविधाओं के कार्यक्षेत्र आवंटित किये जाने हेतु नीति विषयक निर्णय।</p> <p>vii. प्रदेश में संचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण सुविधाओं द्वारा अपशिष्ट शोधन हेतु चिकित्सा सेवाओं से ली जाने वाली दरों में समरूपता रखे जाने हेतु नीति विषयक निर्णय।</p> <p>viii. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वार्षिक रिपोर्ट प्रेषित किये जाने की स्थिति।</p> <p>ix. जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्राविधानों के अनुपालन की स्थिति का व्यापक आंकलन।</p>
ई-वेस्ट प्रबन्धन नियम, 2016	<p>i. राज्य में ई-वेस्ट प्रबन्धन नियम के अनुपालन हेतु Integrated Plan बनाये जाने की स्थिति।</p> <p>ii. औद्योगिक क्षेत्रों में ई-वेस्ट डिस्मेंटलिंग एवं रिसाइक्लिंग सुविधाओं के लिए भूमि चिन्हिकरण अथवा आवंटन किये जाने की प्रगति।</p> <p>iii. श्रम विभाग द्वारा ई-वेस्ट डिस्मेंटलिंग एवं रिसाइक्लिंग कार्य से सम्बन्धित कार्मिकों का पंजीकरण किये जाने की प्रगति का अनुश्रवण।</p> <p>iv. श्रम विभाग द्वारा ई-वेस्ट डिस्मेंटलिंग एवं रिसाइक्लिंग कार्य से सम्बन्धित कार्मिकों के वार्षिक स्वास्थ्य की जांच किये जाने की प्रगति का अनुश्रवण।</p> <p>v. श्रम विभाग द्वारा कार्मिकों के लिए Skill Development Activity किये जाने की स्थिति।</p> <p>vi. राज्य में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत डिस्मेंटलर एवं रिसाइक्लर्स।</p> <p>vii. ब्राण्ड ओनर्स तथा प्रोड्यूसर्स द्वारा Extended Producer Responsibility के अन्तर्गत कृत कार्यवाही की समीक्षा।</p> <p>viii. ई-वेस्ट के अवैध प्रसंस्करण की स्थिति।</p> <p>ix. प्रदेश में Orphan E-waste की स्थिति तथा क्या उक्त वेस्ट प्राधिकृत रिसाइक्लर्स को स्थानीय निकायों द्वारा प्रेषित किया गया है।</p> <p>x. प्रदेश में नगरीय ठोस अपशिष्ट में ई-वेस्ट मिश्रित होने की स्थिति तथा ऐसा पाये जाने पर क्या स्थानीय निकायों द्वारा उक्त को पृथक्कृत कर प्राधिकृत रिसाइक्लर्स के माध्यम से निस्तारित किया जाता है।</p> <p>xi. ई-वेस्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्राविधानों के अनुपालन की स्थिति का व्यापक आंकलन।</p>
परिसंकटमय	i. प्रदेश में परिसंकटमय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु वर्तमान



- 8 -

अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016	<p>में स्थापित टी0एस0डी0एफ0 (संयुक्त उपचार एवं निस्तारण सुविधाएं) द्वारा नियमों के अनुरूप संचालन की स्थिति।</p> <p>ii. प्रदेश में प्रस्तावित टी0एस0डी0एफ0 की समीक्षा एवं समयबद्ध स्थापना एवं संचालन की योजना का अनुश्रवण।</p> <p>iii. प्रदेश में अवैध रूप से निस्तारित परिसंकटमय अपशिष्ट के सुरक्षित निस्तारण हेतु कार्य की प्रगति का अनुश्रवण।</p> <p>iv. परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्राविधानों के अनुपालन की स्थिति का व्यापक आंकलन।</p>
-----------------------------	---

- iii. राज्य स्तरीय अपशिष्ट प्रबंधन अनुश्रवण समिति प्रदेश में समस्त अपशिष्ट प्रबन्धन नियमों यथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016, अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमालिशन वेस्ट नियम, 2016, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016, ई-वेस्ट प्रबन्धन नियम, 2016 एवं परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु की जाने वाली कार्यवाही तथा उक्त से सम्बन्धित कार्ययोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति के अनुश्रवण हेतु यथा आवश्यकता उपसमितियां गठित कर स्थलीय भ्रमण कराकर स्थिति का आंकलन करायेगी।
- iv. राज्य स्तरीय अपशिष्ट प्रबंधन अनुश्रवण समिति द्वारा उपरोक्त अनुश्रवण के आधार पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल किए जाने हेतु त्रैमासिक अनुपालन की स्थिति की रिपोर्ट का आलेख्य तैयार कर उसे पर्यावरण विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव, उ0प्र0 के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अनूप चन्द्र पाण्डेय
मुख्य सचिव।

संख्या-17/2019/एन.जी.टी.-261/55-पर्या-2-2019-44(रिट)/2016 तददिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. रजिस्ट्रार, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली।
2. सचिव/निजी सचिव, अध्यक्ष (मा0 न्यायमूर्ति श्री देवी प्रसाद सिंह), ओ0ए0 सं0-606/2018 Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 में गठित अनुश्रवण समिति।
3. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/लोक निर्माण/आवास एवं शहरी नियोजन/चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/चिकित्सा शिक्षा/पशुधन/श्रम/पंचायती राज/ग्राम्य विकास/गृह/लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल/ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।

क/

- 9 -

5. आयुक्त, वाणिज्यिक एवं मनोरंजन कर, उ०प्र० लखनऊ।
6. अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली।
7. महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
8. महाप्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर/उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज/पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर एवं महाप्रबन्धक, उत्तर रेलवे बड़ौदा हाऊस, नई दिल्ली।
9. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०।
10. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, उ०प्र०।
11. सदस्य, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
12. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ०प्र०, लखनऊ।
13. निदेशक, पर्यावरण, उ०प्र०, लखनऊ।
14. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
15. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आंचलिक कार्यालय नार्थ जोन, लखनऊ।
16. मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उ०प्र०, लखनऊ।
17. निदेशक, नीरी, नागपुर द्वारा नामित वरिष्ठ वैज्ञानिक।
18. निदेशक, आई०आई०टी०आर०, लखनऊ द्वारा नामित वरिष्ठ वैज्ञानिक।
19. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कल्पना अवस्थी)
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7
(पूर्व पर्यावरण अनुभाग-2)
संख्या-16/2019/एन.जी.टी.-260/55-पर्या-2-2019-44(रिट)/2016
लखनऊ : दिनांक : 14 जून, 2019

कार्यालय ज्ञाप

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के सिंगरौली जिले में तापीय विद्युत संयंत्रों, कोयले की खदानों, स्टोन क्रेशर्स एवं अन्य प्रदूषणकारी उद्योगों के संचालन से व्याप्त प्रदूषण के नियंत्रण हेतु की जाने वाली कार्यवाही के आंकलन एवं समस्या के समाधान हेतु समयबद्ध कार्ययोजना के निर्माण एवं क्रियान्वयन के लिए ओ0ए0 सं0-164/2018 अश्वनी कुमार दुबे बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.08.2018 द्वारा निम्न ओवरसाइट समिति का गठन किया गया है-

- | | |
|--|----------|
| i. मा0 न्यायमूर्ति श्री राजेश कुमार | -अध्यक्ष |
| ii. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि | -सदस्य |
| iii. मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि | -सदस्य |
| iv. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि | -सदस्य |
| v. जिलाधिकारी, सोनभद्र | -सदस्य |
| vi. जिलाधिकारी, सिंगरौली | -सदस्य |

मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 28.08.2018 में निर्देश दिये गये कि उपरोक्त अनुश्रवण समिति द्वारा मा0 अधिकरण के पूर्व आदेशों के अनुपालन में कृत कार्यवाही की समीक्षा की जाएगी तथा प्रदूषण की समस्या के समाधान हेतु समयबद्ध कार्ययोजना प्रस्तुत की जाएगी।

2- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-681/2018 News Item Published in "The Times of India" Authored by Shri Vishwa Mohan Titled "NCAP with Multiple timelines to Clear Air in 102 Cities to be released around August 15" में पारित आदेश दिनांक 08.10.2018 द्वारा Air Quality Monitoring Committee (AQMC) गठित की गई है। मा0 अधिकरण द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रदेश में चिन्हित 15 Non-attainment Cities की वायुगुणता मानको के अनुरूप सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिकोण से AQMC द्वारा कार्ययोजना का निर्माण किया जाए। मा0 अधिकरण द्वारा आदेश में स्पष्ट किया गया कि AQMC का संचालन प्रमुख सचिव, पर्यावरण के सम्पूर्ण पर्यवेक्षण में होगा तथा उक्त के साथ-साथ AQMC के कार्यों का अनुश्रवण मुख्य सचिव द्वारा भी किया जाएगा।

(क)

- 2 -

पर्यावरण विभाग, उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप सं०-०१/५५-पर्या-
२-२०१९-०९(रिट)/२०१६ दिनांक ०२.०१.२०१९ द्वारा प्रदेश में Air Quality Monitoring
Committee निम्नवत् गठित की गई-

- | | |
|---|-----------------|
| i. आयुक्त, परिवहन विभाग, उ०प्र० | -सदस्य |
| ii. विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन | -सदस्य |
| iii. निदेशक, उद्योग विभाग, उ०प्र० | -सदस्य |
| iv. निदेशक, पर्यावरण, उ०प्र० | -सदस्य |
| v. निदेशक, कृषि विभाग, उ०प्र० | -सदस्य |
| vi. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ | -सदस्य, समन्वयक |

३- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ०ए० सं०-६०६/२०१८ Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 मे पारित आदेश दिनांक 26.04.2019 में प्रदेश के प्रमुख वायु प्रदूषित शहरों एवं किटिकली/सीरियसली प्रदूषित क्षेत्रों में व्याप्त वायु प्रदूषण नियंत्रण, प्रदेश की नदियों में विशेषकर प्राथमिकता वाले नदी खण्डों के प्रदूषण नियंत्रण, प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन, परिसंकटमय अपशिष्ट का सुरक्षित निस्तारण, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमालिशन अपशिष्ट प्रबन्धन, ई-वेस्ट प्रबन्धन, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र (ई०टी०पी०), संयुक्त उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र (सी०ई०टी०पी०) की स्थापना/संचालन से संबंधित कार्ययोजनाओं एवं नियमावलियों के अनुपालन का अनुश्रवण मुख्य सचिव, उ०प्र० द्वारा करते हुए त्रैमासिक अनुपालन आख्या मा० अधिकरण में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

मा० अधिकरण के उपरोक्त आदेश दिनांक 26.04.2019 के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ०प्र० द्वारा प्रदेश में चिन्हित Non-attainment. Cities एवं किटिकली/सीरियसली प्रदूषित क्षेत्रों के सम्बन्ध में ओ०ए० सं०-६८१/२०१८ एवं ओ०ए० सं०-१०३८/२०१८ में पारित पूर्व निर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ सम्पूर्ण प्रदेश में प्रभावी वायु प्रदूषण एवं स्वच्छ परिवेशीय वायुगुणता सुनिश्चित कराये जाने हेतु की जा रही कार्यवाही एवं कार्ययोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति का अनुश्रवण करते हुए मा० अधिकरण के समक्ष अनुपालन आख्या नियमित रूप से प्रस्तुत की जानी है।

४- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ०ए० सं०-६०६/२०१८ Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 मे मा० अधिकरण के स्तर से गठित विभिन्न समितियों के अग्रत्तर कार्य किये जाने के संबंध में दिनांक 26.04.2019 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गये हैं, जिसके सुसंगत अंश निम्न प्रकार हैं-

(1)

- 3 -

" 26. Vide order dated 05.03.2019, dealing with State of Himachal Pradesh, it has been directed that the Apex Committee is to conclude its proceedings by 30.04.2019 and furnish its final report. Thereafter, monitoring at apex level can be done by MoEF&CC and CPCB in terms of Rules 5 and 14 of the SWM Rules respectively and direction of this Tribunal vide order dated 22.12.2016 [Para 43(9)]. However, the State Level Committees as directed by the Tribunal headed by retired Judges and the Chief Secretaries will continue including the State and District Level Committees. After expiry of the six months term of the Committees, the Chief Secretary may take a decision whether such Committees are required to continue further. This direction is being issued as the Chief Secretaries have taken over the monitory".

5- उपरोक्त प्रस्तर-4 में वर्णित मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 26.04.2019 में दिये गये निर्देशों के दृष्टिगत मा0 अधिकरण द्वारा/ओ0ए0 सं0-164/2018 अश्वनी कुमार दुबे बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.08.2018 द्वारा गठित ओवरसाइट समिति एवं क्वांटिकली प्रदूषित औद्योगिक समूहों हेतु पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2973/55-पर्या-2014-47(पर्या)/2010, दिनांक 30.07.2014 द्वारा गठित राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति को समाप्त करते हुए प्रदेश में वायु प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण एवं वायुगुणता मानकों के अनुरूप रखे जाने हेतु मा0 अधिकरण के पूर्व आदेश दिनांक 08.10.2018 के अनुपालन में पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-01/55-पर्या-2-2019-09(रिट)/2016 दिनांक 02.01.2019 द्वारा प्रदेश में गठित Air Quality Monitoring Committee निम्नानुसार पुनर्गठित की जाती है-

- | | |
|--|----------|
| i. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग | -अध्यक्ष |
| ii. प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग | -सदस्य |
| iii. प्रमुख सचिव/सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग | -सदस्य |
| iv. प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन विभाग | -सदस्य |
| v. प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग | -सदस्य |
| vi. प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि विभाग | -सदस्य |
| vii. प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन | -सदस्य |
| viii. प्रमुख सचिव/सचिव, उद्यान विभाग | -सदस्य |
| ix. आयुक्त, खाद्य एवं आपूर्ति | -सदस्य |
| x. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एस0आई0डी0सी0 | -सदस्य |
| xi. निदेशक, पर्यावरण | -सदस्य |
| xii. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आंचलिक कार्यालय | -सदस्य |

(4)

- 4 -

नार्थ जोन, लखनऊ

- xiii. ऑयल कम्पनीज (आईओसी/बीपीसीएल/एचपीसीएल) के प्रतिनिधि -सदस्य
- xiv. सीएनजी कम्पनीज (इन्द्रप्रस्थ गैस, गोल इण्डिया) के प्रतिनिधि -सदस्य
- xv. डा० सच्चिदानन्द त्रिपाठी, प्रोफेसर, आईआईटी, कानपुर -विशेषज्ञ सदस्य
- xvi. समिति के अध्यक्ष द्वारा यथावश्यकता नामित औद्योगिक संगठन, विशेषज्ञ, स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि आदि -सदस्य
- xvii. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड -सदस्य समन्वयक

6- उपरोक्त बिन्दु सं०-5 के अन्तर्गत Air Quality Monitoring Committee के कार्य दायित्व एवं Terms of References निम्नानुसार होंगे-

- i. मा० अधिकरण द्वारा ओ०ए० सं०-681/2018 News Item Published in "The Times of India" Authored by Shri Vishwa Mohan Titled "NCAP with Multiple timelines to Clear Air in 102 Cities to be released around August 15" में पारित आदेश तथा ओ०ए० सं०-1038/2018 News Item Published in "The Asian-Age" Authored by Sanjay Kaw Titled "CPCB to rank industrial units on pollution levels" में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु पारित आदेशों के अनुपालन की स्थिति का अनुश्रवण किया जाएगा।
- ii. प्रदेश में शहरी नियोजन के अन्तर्गत पर्यावरणीय विषयों का समावेश किये जाने की स्थिति।
- iii. प्रदेश के शहरों हेतु Comprehensive Mobility Plan के निर्माण एवं क्रियान्वयन का अनुश्रवण।
- iv. प्रमुख शहरों में विद्युत चलित बसों एवं बैटरी संचालित वाहनों की वर्तमान स्थिति एवं विस्तार किये जाने की योजना का अनुश्रवण।
- v. प्रमुख शहरों में स्वच्छ ईंधन सीएनजी के वर्तमान नेटवर्क का विस्तारीकरण एवं नये शहरों में आपूर्ति किये जाने की समीक्षा।
- vi. शहरों में पार्किंग की समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु पार्किंग नीति का अनुश्रवण।
- vii. शहरों में हरित पट्टिका के विकास किये जाने की समीक्षा।
- viii. मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम (मेट्रो) के विस्तारीकरण की नीति की समीक्षा।
- ix. वाहनों के सुचारु रूप से संचालन हेतु एक्सप्रेस-वे, पेरिफेरल रोड, ओवरब्रिजेस की वर्तमान योजनाओं की प्रगति एवं प्रस्तावित विस्तारीकरण कार्ययोजना का अनुश्रवण।
- x. शहरों में Source Apportionment Study कराये जाने के सम्बन्ध में प्रगति का अनुश्रवण।

148

- 5 -

- xi. प्रदेश में शहरों की वायुगुणता के मापन हेतु CAAQMS नेटवर्क के विस्तारीकरण हेतु प्रगति का अनुश्रवण एवं बजट प्राविधान सम्बन्धी निर्णय।
- xii. औद्योगिक वायु प्रदूषण नियंत्रण की स्थिति का अनुश्रवण।
- xiii. गैर अनुमन्य क्षेत्र में स्थापित/संचालित वायु प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुमन्य क्षेत्र में कराये जाने हेतु योजनाओं की स्थिति का अनुश्रवण।
- xiv. वाहन प्रदूषण नियंत्रण हेतु पी0यू0सी0 प्रणाली एवं उक्त को अपग्रेड तथा विस्तारीकृत किये जाने की स्थिति का अनुश्रवण।
- xv. मिलावटी ईंधन की आपूर्ति रोके जाने हेतु प्रभावी प्रवर्तन।
- xvi. सड़कों की सफाई रात्रि में एवं मैकेनाइज्ड पद्धति पर किया जाना।
- xvii. ठोस अपशिष्ट, कूड़ा-कचरा जलाये जाने पर लगाये गये प्रतिबन्ध के अनुपालन की स्थिति का अनुश्रवण।
- xviii. कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमालिशन वेस्ट के अनुपालन की स्थिति।
- xix. Air Quality Monitoring Committee सम्पूर्ण प्रदेश में प्रभावी वायु प्रदूषण एवं स्वच्छ परिवेशीय वायुगुणता सुनिश्चित कराये जाने हेतु कार्ययोजनाओं के क्रियान्वयन, प्रदूषण की स्थिति के आंकलन एवं संचालित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु यथा आवश्यकता उपसमितियां गठित कर स्थलीय भ्रमण कराकर स्थिति का आंकलन करायेगी।
- xx. Air Quality Monitoring Committee द्वारा उपरोक्त अनुश्रवण के आधार पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल किए जाने हेतु त्रैमासिक अनुपालन की स्थिति की रिपोर्ट का आलेख्य तैयार कर उसे पर्यावरण विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव, उ0प्र0 के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अनूप चन्द्र पाण्डेय
मुख्य सचिव।

संख्या-16/2019/एन.जी.टी.-260/55-पर्या-2-2019-44(रिट)/2016 तददिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. रजिस्ट्रार, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली।
2. सचिव/निजी सचिव, अध्यक्ष (मा0 न्यायमूर्ति श्री राजेश कुमार), ओ0ए0 सं0-164/2018 अश्वनी कुमार दुबे बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में गठित ओवरसाईट समिति।
3. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास /कृषि/परिवहन/लोक निर्माण/आवास एवं शहरी नियोजन/उद्यान/गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. आयुक्त, खाद्य एवं आपूर्ति, उ0प्र0, लखनऊ।

क/क

-6-

6. अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली।
7. महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
8. महाप्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर/उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज/पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर एवं महाप्रबन्धक, उत्तर रेलवे बड़ौदा हाऊस, नई दिल्ली।
9. पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०।
10. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०।
11. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, उ०प्र०।
12. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी०एस०आई०डी०सी०, कानपुर।
13. निदेशक, पर्यावरण, उ०प्र०, लखनऊ।
14. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आंचलिक कार्यालय नार्थ जोन, लखनऊ।
15. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
16. ऑयल कम्पनीज (आई०ओ०सी०/बी०पी०सी०एल०/एच०पी०सी०एल०) के प्रतिनिधि।
17. सी०एन०जी० कम्पनीज (इन्द्रप्रस्थ गैस, गेल इण्डिया) के प्रतिनिधि।
18. डा० सच्चिदानन्द त्रिपाठी, प्रोफेसर, आई०आई०टी०, कानपुर।
19. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

 (कल्पना अवस्थी)
 प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7
(पूर्व पर्यावरण अनुभाग-2)
संख्या-14/2019/एन.जी.टी.-258/55-पर्या-2-2019-44(रिट)/2016
लखनऊ : दिनांक 14 जून, 2019

कार्यालय ज्ञाप

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा हिण्डन, काली एवं कृष्णा नदी के संरक्षण, उद्धार, प्रदूषण हेतु उत्तरदायी दोषी व्यक्तियों/संस्थानों के विरुद्ध कार्यवाही तथा पीड़ितों के पुर्नवास सम्बन्धी दायित्वों के निर्वहन हेतु ओ0ए0 सं0-66/2015 दोआबा पर्यावरण समिति बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.08.2018 द्वारा निम्न अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है-

- i. मा0 न्यायमूर्ति श्री एस0यू0 खान —अध्यक्ष.
- ii. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित—सदस्य वरिष्ठ वैज्ञानिक
- iii. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित वरिष्ठ वैज्ञानिक/अभियन्ता —सदस्य

मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 08.08.2018 में निर्देश दिये गये कि उपरोक्त अनुश्रवण समिति द्वारा मा0 अधिकरण के पूर्व आदेशों के अनुपालन में कृत कार्यवाही की समीक्षा की जाएगी तथा प्रदूषण की समस्या के समाधान हेतु समबद्ध कार्ययोजना प्रस्तुत की जाएगी।

2- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश में नदियों के संरक्षण, उद्धार एवं प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण हेतु ओ0ए0 सं0-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कार्पोरेशन गोरखपुर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.08.2018 द्वारा निम्न अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है-

- i. मा0 न्यायमूर्ति श्री देवी प्रसाद सिंह —अध्यक्ष
- ii. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित वरिष्ठ प्रतिनिधि —सदस्य
- iii. उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित वरिष्ठ प्रतिनिधि —सदस्य
- iv. डा0 ए0बी0 अकोलकर, पूर्व सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड —सदस्य
- v. उ0प्र0 जल निगम द्वारा नामित प्रतिनिधि —सदस्य

मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 23.08.2018 में निर्देश दिये गये कि उपरोक्त अनुश्रवण समिति द्वारा नदी जल संरक्षण एवं प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण हेतु योजनाओं के प्रबन्धन एवं क्रियान्वयन तथा मा0 अधिकरण के पूर्व आदेशों के अनुपालन में कृत कार्यवाही की समीक्षा की जाएगी।

(10)

- 2 -

3- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा यमुना नदी के संरक्षण एवं उद्धार हेतु ओ0ए0 सं0-6/2012 मनोज मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य एवं 300/2013 मनोज कुमार मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2018 द्वारा दो सदस्यीय निम्न अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है-

- i. सुश्री शैलजा चन्द्रा, पूर्व मुख्य सचिव, दिल्ली -सदस्य
- ii. श्री बी0एस0 साजवान, पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं पूर्व विशेषज्ञ मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण -सदस्य

मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 26.07.2018 में निर्देश दिये गये कि उपरोक्त अनुश्रवण समिति द्वारा मा0 अधिकरण के पूर्व आदेशों के अनुपालन में कृत कार्यवाही की समीक्षा की जाएगी तथा प्रदूषण की समस्या के समाधान हेतु समयबद्ध कार्ययोजना प्रस्तुत की जाएगी।

4- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-673/2018 News Item published in "The Hindu" authored by Shri Jacob Koshy Titled "More river stretches are now critically polluted: CPCB में पारित आदेश दिनांक 20.09.2018 द्वारा River Rejuvenation Committee (RRC) गठित की गई। मा0 अधिकरण द्वारा निर्देशित किया गया कि RRC द्वारा नदियों के क्रिटिकली प्रदूषित नदीखण्डों हेतु कार्ययोजना बनाई जाएगी तथा उक्त कार्ययोजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण किया जाएगा। मा0 अधिकरण द्वारा आदेश में स्पष्ट किया गया कि RRC का संचालन प्रमुख सचिव, पर्यावरण के सम्पूर्ण पर्यवेक्षण में होगा।

पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-एन0जी0टी0-4140/55-पर्या-2-2017-49(पर्या)/2017 दिनांक 14.12.2018 द्वारा River Rejuvenation Committee (RRC) निम्नवत् गठित की गई है :-

- i. निदेशक, पर्यावरण निदेशालय -सदस्य
- ii. विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन -सदस्य
- iii. निदेशक, उद्योग विभाग, उ0प्र0 -सदस्य
- iv. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड -सदस्य

5- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-606/2018 Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 में पारित आदेश दिनांक 26.04.2019 में प्रदेश के प्रमुख वायु प्रदूषित शहरों एवं क्रिटिकली/सीरियसली प्रदूषित क्षेत्रों में व्याप्त वायु प्रदूषण नियंत्रण, प्रदेश की नदियों में विशेषकर प्राथमिकता वाले नदी खण्डों के प्रदूषण नियंत्रण, प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन, परिसंकटमय अपशिष्ट का सुरक्षित निस्तारण, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमालिशन अपशिष्ट प्रबन्धन, ई-वेस्ट प्रबन्धन, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र (ई0टी0पी0), संयुक्त उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र (सी0ई0टी0पी0) की स्थापना/संचालन से

- 3 -

संबंधित कार्ययोजनाओं एवं नियमावलियों के अनुपालन का अनुश्रवण मुख्य सचिव, उ०प्र० द्वारा करते हुए त्रैमासिक अनुपालन आख्या मा० अधिकरण में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

मा० अधिकरण के उपरोक्त आदेश दिनांक 26.04.2019 के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ०प्र० द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ०ए० सं०-673/2018 News Item published in "The Hindu" authored by Shri Jacob Koshy Titled "More river stretches are now critically polluted: CPCB में पारित आदेश दिनांक 20.09.2018, ओ०ए० सं०-66/2015 दोआबा पर्यावरण समिति बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.08.2018, पूर्वी उत्तर प्रदेश में नदियों के संरक्षण, उद्धार एवं प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण हेतु ओ०ए० सं०-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कार्पोरेशन गोरखपुर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.08.2018 तथा यमुना नदी के संरक्षण एवं उद्धार हेतु ओ०ए० सं०-6/2012 एवं 300/2013 मनोज मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं मनोज कुमार मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2018 तथा उक्त प्रकरणों में मा० अधिकरण द्वारा पारित अन्य आदेशों के अनुपालन में प्रदेश में नदियों की जल गुणता के संरक्षण एवं प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण हेतु क्रियान्वित कार्ययोजनाओं का अनुश्रवण करते हुए मा० अधिकरण के समक्ष अनुपालन आख्या नियमित रूप से प्रस्तुत की जानी है।

6- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ०ए० सं०-606/2018 Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 में मा० अधिकरण के स्तर से गठित विभिन्न समितियों के अग्रोत्तर कार्य किये जाने के संबंध में दिनांक 26.04.2019 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गये हैं, जिसके सुसंगत अंश निम्न प्रकार हैं-

" 26. Vide order dated 05.03.2019, dealing with State of Himachal Pradesh, it has been directed that the Apex Committee is to conclude its proceedings by 30.04.2019 and furnish its final report. Thereafter, monitoring at apex level can be done by MoEF&CC and CPCB in terms of Rules 5 and 14 of the SWM Rules respectively and direction of this Tribunal vide order dated 22.12.2016 [Para 43(9)]. However, the State Level Committees as directed by the Tribunal headed by retired Judges and the Chief Secretaries will continue including the State and District Level Committees. After expiry of the six months term of the Committees, the Chief Secretary may take a decision whether such Committees are required to continue further. This direction is being issued as the Chief Secretaries have taken over the monitoring".

7- उपरोक्त प्रस्तर-6 में वर्णित मा० अधिकरण के आदेश दिनांक 26.04.2019 में दिये गये निर्देशों के दृष्टिगत ओ०ए० सं०-66/2015 दोआबा पर्यावरण समिति बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.08.2018, ओ०ए० सं०-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कार्पोरेशन गोरखपुर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.

(1/6)

- 4 -

08.2018, ओ०ए० सं०-6/2012 मनोज मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य एवं 300/2013 मनोज कुमार मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2018 द्वारा गठित उक्त तीन अनुश्रवण समितियों को समाप्त करते हुए प्रदेश में समस्त प्रमुख नदियों (गंगा नदी के अतिरिक्त) में प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण, जल गुणता संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु संचालित परियोजनाओं की उपयुक्तता एवं प्रगति के आंकलन एवं उपरोक्त तीनों अनुश्रवण समितियों के समस्त कार्यों के सम्पादन हेतु मा० अधिकरण के पूर्व आदेश दिनांक 20.09.2018 के अनुपालन में पर्यावरण अनुभाग उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप सं०-एन०जी०टी०-4140/55-पर्या-2-2017-49(पर्या)/2017 दिनांक 14.12.2018 द्वारा गठित River Rejuvenation Committee (RRC) निम्नानुसार पुनर्गठित की जाती है-

- | | |
|---|-------------|
| i. कृषि उत्पादन आयुक्त | -अध्यक्ष |
| ii. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग | -सदस्य |
| iii. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग | -सदस्य |
| iv. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग | -सदस्य |
| v. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विभाग | -सदस्य |
| vi. निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन | -सदस्य |
| vii. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी०एस०आई०डी०सी० | -सदस्य |
| viii. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आंचलिक कार्यालय नार्थ जोन, लखनऊ | -सदस्य |
| ix. निदेशक, तकनीकी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली | -सदस्य |
| x. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम | -सदस्य |
| xi. निदेशक, केन्द्रीय भूजल बोर्ड, उत्तरी क्षेत्र, लखनऊ | -सदस्य |
| xii. डॉ० ए०ए० काजमी, प्रोफेसर, (आई०आई०टी०, रुड़की) | -सदस्य |
| xiii. समिति के अध्यक्ष द्वारा यथावश्यकता नामित औद्योगिक संगठन, विशेषज्ञ, स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि आदि | -सदस्य |
| xiv. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड | -नोडल ऑफिसर |

8- उपरोक्त बिन्दु सं०-7 के अन्तर्गत River Rejuvenation Committee के कार्य दायित्व एवं Terms of References निम्नानुसार होंगे-

- i. मा० अधिकरण द्वारा ओ०ए० सं०-673/2018 News Item published in "The Hindu" authored by Shri Jacob Koshy Titled "More river stretches are now critically polluted: CPCB में पारित आदेश तथा ओ०ए० संख्या-66/2015, ओ०ए० सं०-116/2014, ओ०ए० सं०-06/2012 एवं ओ०ए० सं०-300/2013 में मा० अधिकरण द्वारा नदियों में प्रदूषण नियंत्रण एवं नदी जल संरक्षण हेतु पारित अन्य आदेशों के अनुपालन की स्थिति का अनुश्रवण किया जाएगा।

(क)

- 5 -

- ii. नदियों के क्षेत्र में स्थापित सीवेज उपचार संयंत्रों एवं सी0ई0टी0पी0 का संचालन मानकों के अनुरूप किये जाने की स्थिति, कार्यरत सीवेज उपचार संयंत्रों एवं सी0ई0टी0पी0 को अपग्रेड किये जाने संबंधी परियोजना की प्रगति तथा प्रस्तावित संयंत्रों की स्थापना संबंधी प्रगति का अनुश्रवण किया जाएगा।
- iii. नदियों के क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र के चिन्हिकरण एवं अधिसूचित किये जाने की समीक्षा।
- iv. नदियों में औद्योगिक उत्प्रवाह से प्रदूषण के नियंत्रण की समीक्षा।
- v. नदियों के क्षेत्र में स्थानीय निकायों में नियमानुसार ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की स्थिति की समीक्षा।
- vi. नदियों के विभिन्न नदीखण्डों में ई-फ्लो को मेन्टेन किये जाने तथा नदी में अविरल जल प्रवाह सुनिश्चित किये जाने की स्थिति।
- vii. नदियों की जलगुणवत्ता के अनुश्रवण की समीक्षा तथा नदी जल गुणता के संरक्षण हेतु कार्यवाही की समीक्षा।
- viii. नदियों की जल गुणता से सम्बन्धित अन्य विषय-बिन्दु।
- ix. River Rejuvenation Committee द्वारा नदियों के क्षेत्र में प्रदूषण की स्थिति के आंकलन एवं संचालित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु यथा आवश्यकता उपसमितियां गठित कर स्थलीय भ्रमण कराकर स्थिति का आंकलन करायेगी।
- x. River Rejuvenation Committee द्वारा उपरोक्त अनुश्रवण के आधार पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल किए जाने हेतु त्रैमासिक अनुपालन की स्थिति की रिपोर्ट का आलेख्य तैयार कर उसे पर्यावरण विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव, उ0प्र0 के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अनूप चन्द्र पाण्डेय
मुख्य सचिव।

संख्या-14 / 2019 / एन.जी.टी.-258 / 55-पर्या-2-2019-44(रिट) / 2016, तददिनांक।

प्रतिलिपिनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. रजिस्ट्रार, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली।
2. सचिव/निजी सचिव, अध्यक्ष (मा0 न्यायमूर्ति श्री एस0यू0 खान), ओ0ए0 सं0-66/2015 दोआबा पर्यावरण समिति बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में गठित अनुश्रवण समिति।
3. सचिव/निजी सचिव, अध्यक्ष (मा0 न्यायमूर्ति श्री देवी प्रसाद सिंह), ओ0ए0 सं0-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कार्पोरेशन, गोरखपुर व अन्य में गठित अनुश्रवण समिति।



- 6 -

4. सुश्री शैलजा चन्द्रा, पूर्व मुख्य सचिव, दिल्ली एवं सदस्य, अनुश्रवण समिति (ओ०ए० सं०-६/२०१२ एवं ३००/२०१३ मनोज मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं मनोज कुमार मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य)।
5. अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली।
6. महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
7. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
8. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
9. प्रमुख सचिव, नगर विकास/सिंचाई/कृषि/लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल/पंचायती राज/आवास एवं शहरी नियोजन/गृह/भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन।
10. महाप्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर/उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज/पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर एवं महाप्रबन्धक, उत्तर रेलवे बड़ौदा हाऊस, नई दिल्ली।
11. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०।
12. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, उ०प्र०।
13. परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उ०प्र०।
14. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी०एस०आई०डी०सी०, कानपुर।
15. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
16. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आंचलिक कार्यालय, नार्थ जोन, लखनऊ।
17. परियोजना निदेशक, तकनीकी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
18. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
19. निदेशक, केन्द्रीय भूजल बोर्ड, उत्तरी क्षेत्र, लखनऊ।
20. डॉ० ए०ए० काजमी, प्रोफेसर, (आई०आई०टी०, रुड़की)।
21. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(क)

(कल्पना अवस्थी)

प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7
(पूर्व पर्यावरण अनुभाग-2)
संख्या-13/2019/एन.जी.टी.-257/55-पर्या-2-2019-44(रिट)/2016
लखनऊ : दिनांक 14 जून, 2019

कार्यालय ज्ञाप

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा निर्देशित किया गया है कि प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन, परिसंकटमय अपशिष्ट का सुरक्षित निस्तारण, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमालिशन अपशिष्ट प्रबन्धन, ई-वेस्ट प्रबन्धन, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र (ई0टी0पी0), संयुक्त उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र (सी0ई0टी0पी0) के संचालन तथा मा0 अधिकरण द्वारा विभिन्न वादों यथा ओ0ए0 सं0-306/2016, ओ0ए0 सं0-681/2018, ओ0ए0 सं0-48/2016, ओ0ए0 सं0-1038/2016, ओ0ए0 सं0-673/2018, ओ0ए0 सं0-173/2018, ओ0ए0 सं0-317/2015, ओ0ए0 सं0-200/2014 एवं समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुपालन का अनुश्रवण मुख्य सचिव, उ0प्र0 द्वारा करते हुए त्रैमासिक अनुपालन आख्या मा0 अधिकरण में प्रस्तुत की जाए। इस सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश मा0 अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-606/2018 Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 में पारित आदेश दिनांक 26.04.2019 में दिये गये हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में 15 शहर अति वायु प्रदूषित, 09 औद्योगिक समूह क्रिटिकली/सिरियसली प्रदूषित एवं 12 प्रमुख नदियों के नदीखण्ड क्रिटिकली प्रदूषित श्रेणी के अन्तर्गत चिन्हित हैं। प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु पर्याप्त सुविधाएं स्थापित नहीं है तथा प्लास्टिक अपशिष्ट, जैव चिकित्सा अपशिष्ट, ई-वेस्ट, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमालिशन अपशिष्ट के प्रबन्धन की स्थिति संतोषजनक नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य में पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण की उपरोक्त असन्तोषजनक स्थिति एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों के अनुपालन हेतु प्रदेश में प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से प्रभावी अनुश्रवण तन्त्र विकसित किया जाना आवश्यक है जिसके अन्तर्गत समस्त प्रशासनिक स्तरों एवं सम्बन्धित विभागों के स्तर पर मा0 अधिकरण के आदेशों के अनुपालन में सम्पादित कार्यवाही का सतत अनुश्रवण किया जा सके।

2- उत्तर प्रदेश राज्य में पर्यावरण संरक्षण एवं प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण सुनिश्चित कराये जाने तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में की जाने वाली कार्यवाही के अनुश्रवण हेतु निम्न अनुश्रवण तन्त्र स्थापित किया जाता है-

क/

- 2 -

क-अनुश्रवण के कार्य हेतु वेब पोर्टल का विकास: उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुश्रवण कार्य की सुगमता हेतु एक वेब पोर्टल "U.P. Environmental Compliance Portal" विकसित किया गया है जिसका यू०आर०एल० www.upecp.in है।

ख-जिला स्तर पर अनुश्रवण की प्रक्रिया: जिले स्तर पर वर्तमान में विभिन्न अनुश्रवण समितियां जैसे जिला पर्यावरण समिति, जिला प्लान्टेशन समिति, जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति (बायो मेडिकल वेस्ट), जिला स्तरीय समिति (क्रिटिकली प्रदूषित क्षेत्र) संचालित है।

(1) भविष्य में जिला स्तर पर समस्त पर्यावरणीय विषयों एवं प्रदूषण से सम्बन्धित बिन्दुओं पर समग्र रूप से अनुश्रवण हेतु उपरोक्त वर्णित समितियों के दायित्वों को समाहित करते हुए एक समिति "जिला पर्यावरणीय समिति" का पुनर्गठन निम्नवत् किया जाता है-

- | | |
|---|----------|
| 1. जिलाधिकारी | -अध्यक्ष |
| 2. मुख्य विकास अधिकारी | -सदस्य |
| 3. वरिष्ठ पुलिस-अधीक्षक | -सदस्य |
| 4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा नामित अधिकारी | -सदस्य |
| 5. अपर जिलाधिकारी/प्रभारी, स्थानीय निकाय | -सदस्य |
| 6. उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण | -सदस्य |
| 7. नगर आयुक्त, नगर निगम | -सदस्य |
| 8. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/पंचायत | -सदस्य |
| 9. जिला पूर्ति अधिकारी (खाद्य एवं रसद) | -सदस्य |
| 10. मुख्य चिकित्सा अधिकारी | -सदस्य |
| 11. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग | -सदस्य |
| 12. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग | -सदस्य |
| 13. अधिशासी अभियन्ता, यू०पी० पावर कार्पो० लि० | -सदस्य |
| 14. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी | -सदस्य |
| 15. पुलिस अधीक्षक, यातायात | -सदस्य |
| 16. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र | -सदस्य |
| 17. क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू०पी०एस०आई०डी०डी०सी० | -सदस्य |
| 18. जिला पंचायत राज्य अधिकारी | -सदस्य |
| 19. जिला कृषि अधिकारी | -सदस्य |
| 20. जिला उद्यान अधिकारी | -सदस्य |
| 21. जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी | -सदस्य |
| 22. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी | -सदस्य |

- 3 -

23. समस्त ऑयल एवं गैस कम्पनीज के प्रतिनिधि -सदस्य
24. समस्त सिटी गैस नेटवर्क के प्रतिनिधि -सदस्य
25. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड -सदस्य
26. जिलाधिकारी द्वारा नामित पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले अधिकतम 02 पंजीकृत गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन -सदस्य
27. जिलाधिकारी द्वारा यथावश्यकता नामित अन्य अधिकारी/प्रतिनिधि (कैन्टॉनमेन्ट बोर्ड, जिला पंचायत, जल निगम, रेलवे, भू-जल, औद्योगिक संगठन, संयुक्त जैव चिकित्सा व्यवस्था एवं शिक्षण संस्थानों/विशेषज्ञआदि) -सदस्य
28. जिला वन अधिकारी/प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी -सदस्य संयोजक

(2) जिला पर्यावरणीय समिति की बैठक कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा निर्धारित समयतालिका के अनुसार माह में एक बार माह के प्रथम सप्ताह में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की जायेगी। माह के द्वितीय सप्ताह में संबंधित मण्डलायुक्त द्वारा मण्डलीय समीक्षा बैठक के दौरान जिला स्तर पर पर्यावरण समितियों की रिपोर्ट के आधार पर समीक्षा की जायेगी जिसमें जिलाधिकारी व जिला पर्यावरण समिति के सदस्य संयोजक उपस्थित होंगे। जिला पर्यावरण समिति द्वारा निम्न प्रकार कार्यवाही की जायेगी-

(i) उ0प्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित वेब पोर्टल पर विषयवार अनुपालन सूचना प्रस्तुत किये जाने हेतु टैम्पलेट प्रदर्शित होंगे। जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा उक्त टैम्पलेट पर संबंधित विभागों से सूचना प्राप्त कर संकलित की जायेगी तथा उसकी एक प्रति माह के प्रथम कार्य दिवस में सदस्य संयोजक को उपलब्ध करायी जायेगी। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पोर्टल का लॉग-इन आई0डी0 एवं पासवर्ड जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। अनुश्रवण पोर्टल पर उपलब्ध टैम्पलेट पर सूचनायें पूर्ण किये जाने हेतु जिला स्तर पर निम्न अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे-

क्र0 सं0	अनुपालन हेतु टैम्पलेट का विषय	नोडल अधिकारी
1.	ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, कंस्ट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन वेस्ट प्रबन्धन	नगर निगम क्षेत्र हेतु नगर आयुक्त तथा स्थानीय निकायों हेतु प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय
2.	जैव चिकित्सा अपशिष्ट	मुख्य चिकित्साधिकारी
3.	ई-वेस्ट प्रबन्धन	क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

उक्त के अतिरिक्त प्रमुख नदियों के किटिकली प्रदूषित नदी खण्ड, अति वायु प्रदूषित 15 शहरों एवं किटिकली/सीरियसली प्रदूषित 09 औद्योगिक समूहों से संबंधित एक्शन प्लान में कार्यवाही के बिन्दु के समक्ष चिन्हित संबंधित विभाग/एजेन्सी द्वारा अनुपालन सूचना निर्धारित टैम्पलेट पर जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।

- 4 -

(ii) सदस्य संयोजक उक्त सूचना के आधार पर बैठक का एजेण्डा तैयार करेंगे तथा जिला अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित करायेंगे। बैठकोपरान्त बैठक का कार्यवृत्त तैयार किये जाने का उत्तरदायित्व सदस्य संयोजक का होगा।

(iii) जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा बैठकोपरान्त अनुपालन सूचना में आवश्यक संशोधन करते हुये सूचना तथा बैठक का कार्यवृत्त जिला सूचना विज्ञान अधिकारी के सहयोग से वेब पोर्टल www.upecp.in पर अपलोड करायी जायेगी।

(iv) मण्डलायुक्त के स्तर पर आयोजित समीक्षा बैठक हेतु संकलित सूचना एवं जिला पर्यावरण समिति का कार्यवृत्त जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा तथा उसकी एक प्रति संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी उपलब्ध करायी जायेगी। मण्डलायुक्त के स्तर पर बैठक का एजेण्डा क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार कर बैठक करायी जायेगी एवं बैठक का कार्यवृत्त अनुमोदित करवाकर वेब पोर्टल पर अपलोड कराया जायेगा।

ग-राज्य स्तर पर अनुश्रवण की प्रक्रिया: मा० अधिकरणद्वारा पारित विभिन्न आदेशों के द्वारा गठित की गयी अनुश्रवण समितियों को समाप्त करते हुए मुख्य सचिव के स्तर पर अनुश्रवण की व्यवस्था के अंतर्गत विषयवार राज्य स्तरीय समितियों का गठन/पुनर्गठन किया गया है। उक्त के अतिरिक्त राज्य स्तर से अनुश्रवण हेतु प्रत्येक जिला हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव स्तर के अधिकारी नोडल अधिकारी भी नामित हैं।

(1) मुख्य सचिव के स्तर पर अनुश्रवण व्यवस्था के अंतर्गत विषयवार राज्य स्तरीय अनुश्रवण समितियों एवं उनके कार्यक्षेत्र निम्नवत् हैं:-

क्र० सं०	समिति का नाम	कार्यक्षेत्र	समिति के अध्यक्ष/पर्यवेक्षक
(i)	इम्प्लीमेंटेशन कमेटी	गंगा नदी में नदी जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कार्यों का अनुश्रवण	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
(ii)	रिवर रिजुविनेशन कमेटी	गंगा नदी की समस्त सहायक नदियों में नदी जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कार्यों का अनुश्रवण	कृषि उत्पादन आयुक्त
(iii)	एयर क्वालिटी, मानिटोरिंग कमेटी	प्रदेश में वायु प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण एवं परिवेशीय वायु गुणता मानकों के अनुरूप सुनिश्चित कराए जाने हेतु कार्यों की प्रगति का	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

(14)

- 5 -

क्र० सं०	समिति का नाम	कार्यक्षेत्र	समिति के अध्यक्ष / पर्यवेक्षक
		अनुश्रवण	
(iv)	राज्य स्तरीय अपशिष्ट प्रबन्धन अनुश्रवण समिति	समस्त प्रकार के अपशिष्ट यथा टोस अपशिष्ट, जैव चिकित्सा अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, ई-वेस्ट, परिसंकटमय अपशिष्ट एवं कंस्ट्रक्शन एण्ड डिमॉलिशन अपशिष्ट के नियमानुसार सुरक्षित निस्तारण किए जाने की स्थिति का अनुश्रवण	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग

उक्त राज्य स्तरीय समितियों की अनुश्रवण बैठक माह के तृतीय सप्ताह में आयोजित की जाएगी। जिला पर्यावरणीय समिति द्वारा वेब पोर्टल पर अपलोड की गयी मासिक प्रगति उक्त राज्य स्तरीय समितियों के लाग-इन पर प्रदर्शित होगी। राज्य स्तरीय विभागीय समितियों द्वारा उक्त मासिक प्रगति आख्याओं व कार्यवृत्तों का अनुश्रवण एवं अध्ययन किया जाएगा। राज्य स्तरीय समितियों द्वारा जिला स्तरीय समितियों से प्राप्त मासिक प्रगति रिपोर्ट में ऐसे बिन्दु पृथक किये जाएंगे जिन पर अनुपालन हेतु राज्य स्तरीय हस्तक्षेप आवश्यक होगा। राज्य स्तरीय समिति द्वारा अनुश्रवण का संक्षिप्त विवरण, बैठक का एजेण्डा तथा ऐसे समस्त बिन्दुओं तथा नियमों के अनुपालन की स्थिति को मुख्य सचिव की अनुश्रवण बैठक में निर्णय हेतु वेब पोर्टल पर अपलोड किये जायेंगे। राज्य स्तरीय समितियों द्वारा उक्त कार्यवाही हेतु एक नोडल अधिकारी भी नामित किया जायेगा ताकि बैठकों का कार्यवृत्त एजेण्डा इत्यादि तैयार कर वेब पोर्टल पर अपलोड सुगमता से कराये जा सकें।

(2) कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा जिला स्तर पर अनुश्रवण हेतु नामित किये गये अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव स्तर के नोडल अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान जिला स्तर पर आयोजित बैठक में पर्यावरण अनुपालन के बिन्दुओं पर भी समीक्षा की जायेगी। जिला पर्यावरण समिति के सदस्य संयोजक द्वारा पर्यावरण अनुपालन की वेब पोर्टल पर अपलोड की गयी अद्यतन सूचना बैठक के एजेण्डा सहित नोडल अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। नोडल अधिकारियों द्वारा पर्यावरण अनुपालन के संबंध में अपनी टिप्पणी माह के अंत में वेब पोर्टल पर अपलोड करायी जायेगी। नोडल अधिकारी की उक्त टिप्पणी जिला स्तर पर एवं राज्य स्तरीय समितियों के स्तर पर पोर्टल में प्रदर्शित होगी जिसका संज्ञान लेकर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी। उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उक्त टिप्पणियों के आधार पर मुख्य सचिव स्तर पर बैठक हेतु एजेण्डा बिन्दु सम्मिलित किये जायेंगे।

4/5

- 6 -

घ-मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के स्तर पर अनुश्रवण की प्रक्रिया: मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन द्वारा प्रत्येक माह के चतुर्थ सप्ताह में मा० अधिकरण द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की जाएगी। प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उ०प्र० शासन एवं सदस्य सचिव उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मुख्य सचिव की उक्त बैठक हेतु पोर्टल में प्रदर्शित राज्य स्तरीय समितियों द्वारा विषयवार प्रस्तुत अनुपालन की अद्यतन स्थिति एवं चिन्हित बिन्दु, जिन पर मुख्य सचिव स्तर से हस्तक्षेप आवश्यक है, सहित बैठक का एजेण्डा तैयार कर प्रस्तुत किया जाएगा। पर्यावरण विभाग द्वारा बैठक का कार्यवृत्त तैयार कर अनुमोदित करवाकर वेब पोर्टल पर अपलोड कराया जायेगा। उक्त कार्य हेतु सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नोडल अधिकारी होंगे।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

अनूप चन्द्र पाण्डेय
मुख्य सचिव।

संख्या-13/2019/एन.जी.टी.-257/55-पर्या-2-2019-44(रिट)/2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र०।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन/कार्यक्रम क्रियान्वयन/गृह/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/नगर विकास/पंचायती राज/आवास एवं शहरी नियोजन/कृषि/श्रम/सिंचाई/परिवहन/लोक निर्माण/ग्राम्य विकास/खाद्य एवं रसद/सूचना प्रौद्योगिकी, उ०प्र० शासन।
4. पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, उ०प्र०।
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०।
7. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी०एस०आई०डी०सी०, कानपुर।
8. राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी, उ०प्र०।
9. अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली।
10. महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
11. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
12. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उ०प्र०।
13. जिलाधिकारी द्वारा नामित पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले अधिकतम 02 पंजीकृत गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन।
14. जिला पर्यावरण समिति के समस्त सदस्यों को संबंधित जिलाधिकारी के माध्यम से।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(कल्पना अवस्थी)
प्रमुख सचिव।

विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में आयोजित जिला पर्यावरण समिति के बैठकों का विवरण:-

क्र०स०	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	जनपद का नाम	वर्ष-2022 में आयोजित बैठकों का विवरण	वर्ष-2023 में आयोजित बैठकों का विवरण	वर्ष-2022/2023 में आयोजित बैठकों की कुल संख्या
1	गाजियाबाद	गाजियाबाद	14.03.22, 21.04.22, 25.05.22, 17.06.22, 27.07.22, 29.08.22, 06.10.22, 05.12.22		8
		हापुड	26.04.22, 31.05.22, 07.10.22, 30.12.22	25.01.23, 15.02.23, 14.03.23, 13.04.23, 19.05.23, 16.06.23	10
2	गौतमबुद्ध नगर, नोएडा	गौतमबुद्ध नगर, नोएडा	02.03.22, 25.04.22, 19.05.22, 30.06.22, 21.07.22, 02.09.22, 04.11.22, 09.12.22	27.01.23, 25.02.23, 15.03.23, 27.04.23, 30.05.23, 22.06.23	14
3	ग्रेटर नोएडा	ग्रेटर नोएडा			
4	कानपुर नगर	कानपुर नगर	08.04.22, 12.05.22, 14.07.22, 20.08.22, 23.09.22, 19.10.22, 17.11.22, 16.12.22	13.01.23, 23.02.23	10
		फरुखाबाद			
		कानपुर देहात	08.04.22, 13.05.22, 09.06.22, 11.07.22, 01.08.22, 12.09.22, 22.11.22, 20.12.22	17.01.23, 23.02.23, 14.03.23, 29.04.23, 18.05.23, 05.06.23	14
5	कानपुर देहात	कनौज	05.05.22, 22.07.22, 09.09.22, 14.10.22, 11.11.22, 09.12.22	13.01.23, 10.02.23, 10.03.23, 13.04.23, 12.05.23, 09.06.23	12
		उराईया	13.04.22, 19.05.22, 25.06.22	30.01.23, 14.03.23, 29.05.23	6
		झांसी	18.04.22, 13.05.22, 10.06.22, 20.07.22, 10.08.22, 12.09.22, 08.11.22	31.05.23, 09.06.23	9
6	झांसी	जलारन	07.01.22, 11.04.22, 13.05.22, 16.06.22, 19.09.22, 22.11.22	07.01.23, 02.06.23,	8
		ललीतपुर	17.10.22, 25.11.22, 20.12.22	17.01.23, 21.02.23, 29.03.23, 28.04.23, 26.04.23	8
		उरई			
		बांदा		31.01.23,	1
		हमीरपुर	23.06.22, 29.09.22, 26.11.22	12.01.23, 25.02.23, 31.05.23, 15.06.23	7
7	बांदा	चित्रकुट	08.07.22, 26.09.22, 22.11.22	13.01.23, 26.05.23	5
		महोबा	08.04.22, 13.05.22, 10.06.22, 08.07.22, 29.08.22, 20.10.22, 25.11.22	30.05.23,	8

8	प्रयागराज	प्रयागराज	06.04.22, 13.05.22, 11.07.22, 08.08.22, 14.09.22, 22.10.22, 05.12.22			7
		फतेहपुर	23.04.22, 13.05.22, 20.06.22, 18.07.22, 29.08.22, 26.09.22, 28.10.22, 07.12.22	23.01.23, 21.02.23, 20.03.23, 27.04.23, 09.05.23	13	
9	सोनभद्र	कैशम्वी	23.03.22, 05.05.22, 22.06.22, 03.07.22, 19.09.22, 29.11.22	31.01.23, 27.02.23, 25.05.23		9
		सोनभद्र	08.06.22, 31.12.22	10.01.23, 31.03.23, 26.04.23, 06.06.23	6	
10	भैरठ	भिलापुर	13.04.22, 13.05.22, 10.06.22, 05.08.22,08.12.22	13.01.23, 17.02.23, 14.06.23		8
		भैरठ	26.03.22, 20.05.22, 29.07.22, 27.08.22, 13.09.22, 26.11.22	13.01.23, 28.02.23, 27.03.23	9	
11	सहारनपुर	बागपत	29.04.22, 13.05.22, 26.06.22, 28.07.22			4
		सहारनपुर	28.03.22, 08.04.22, 13.05.22, 15.06.22, 26.08.22, 24.09.22, 22.11.22, 26.12.22	30.01.23, 3.02.23, 26.05.23, 14.06.23	12	
12	मुजफ्फरनगर	मुजफ्फरनगर	23.04.22, 13.05.22, 22.06.22, 08.07.22, 11.08.22, 19.09.22, 30.12.22	30.01.23, 28.02.23,		9
		शामली		27.01.23,	1	
13	आगरा	आगरा	28.01.22, 30.03.22, 03.05.22, 27.06.22, 25.07.22, 30.09.22, 27.09.22, 15.11.22, 27.12.22	13.01.23, 23.02.23, 24.03.23, 16.05.23		13
		मथुरा	08.04.22, 22.06.22, 28.09.22, 26.12.22	13.03.23, 31.05.23, 13.06.23	7	
14	अलीगढ़	अलीगढ़		24.04.23, 31.05.23		2
		रूटा				
		हाथरस	24.04.22, 30.09.22	25.02.23,	3	
		काशमंज				
15	अलीगढ़	अलीगढ़	31.03.22, 13.05.22, 23.06.22, 22.07.22, 25.08.22, 03.12.22	10.01.23, 07.02.23, 27.03.23, 24.05.23		10
		मैनपुरी		28.01.23, 10.03.23, 14.04.23	3	
		इटावा				
16	फिरोजाबाद	बुलन्दशहर				
		लखनऊ	18.05.22,	27.01.23,	2	
17	बुलन्दशहर	बाराबंकी	20.04.22, 30.05.22, 27.06.22, 27.04.22, 09.12.22	03.01.23, 15.02.23, 09.03.23, 13.04.23, 18.05.23, 07.06.23		11
		लखनऊ	07.09.22,14.10.22,30.11.22	06.02.23, 10.03.23, 27.05.23	6	
18	लखनऊ	लखीमपुर खीरी				

19	उन्नाव	सीतापुर	13.05.22, 10.06.22, 29.07.22, 28.09.22, 18.11.22	30.01.23, 27.02.23, 21.03.23, 30.05.23, 09.06.23	10
		उन्नाव	13.04.22, 13.05.22, 10.06.22, 29.08.22, 30.11.22, 01.12.22	31.01.23, 27.02.23	8
		हरदोई	03.04.22, 06.05.22, 04.06.22, 06.07.22, 05.08.22, 07.09.22, 31.10.22, 16.12.22	1.02.23, 23.05.23, 14.06.23	11
		रायबरेली	26.04.22, 06.05.22, 13.06.22, 04.07.22, 12.08.22, 06.10.22, 10.11.22, 20.12.22	12.01.23, 28.02.23, 20.03.23, 06.04.23, 24.05.23	13
20	रायबरेली	सुलतानपुर	03.10.22, 01.11.22, 20.12.22	03.01.23, 02.02.23, 06.03.23, 05.04.23, 17.05.23, 07.06.23	9
		अमेठी	22.04.22, 27.05.22, 23.12.22	20.01.23, 23.02.23, 20.03.23, 26.05.23	7
		प्रतापगढ़	26.04.22, 10.06.22, 08.07.22, 11.08.22, 19.09.22, 14.10.22, 11.11.22, 16.12.22	19.01.23, 28.02.23, 19.05.23, 15.06.23	12
		गोरखपुर	10.01.22, 19.04.22, 13.05.22, 29.06.22, 19.07.22, 27.08.22, 27.09.22, 05.11.22	19.01.23, 15.02.23, 31.03.23, 19.05.23	12
		देवरिया	30.04.22, 25.05.22, 23.06.22, 04.07.22, 02.09.22	20.01.23, 15.03.23, 27.04.23, 20.05.23	9
21	गोरखपुर	महाराजगंज	09.05.22, 10.08.22, 10.10.22, 14.11.22, 07.12.22,	9.01.23, 8.02.23, 25.05.23, 10.05.23, 12.06.23	10
		कुशीनगर	10.06.22, 03.07.22, 11.08.22, 13.09.22 04.11.22, 19.12.22		6
		अयोध्या		13.01.23,	1
		बहराईच	02.05.22, 15.06.22, 16.07.22, 18.08.22, 22.11.22	13.02.23, 24.03.23, 10.05.23, 03.06.23	9
22	अयोध्या	गोडा	19.04.22, 13.05.22, 09.06.22, 12.07.22, 05.08.22, 14.10.22, 21.11.22, 30.12.22	27.01.23, 28.02.23, 14.04.23, 17.05.23, 12.06.23	13
		अम्बेडकर नगर	11.11.22,	6.01.23, 31.02.23, 9.06.23	4
		शरावस्ती	30.04.22, 13.06.22, 13.07.22, 11.08.22, 13.09.22	10.02.23, 17.05.23, 09.06.23	8
		आजमगढ़	10.06.22, 09.09.22, 10.11.22, 16.12.22	13.01.23, 10.02.23, 21.04.23, 19.05.23, 06.06.23	9
23	आजमगढ़	बलीया	11.04.22, 16.05.22, 10.06.22	12.05.23, 09.06.23	5
		मऊ	10.06.22, 07.11.22, 08.12.22	09.01.23, 15.02.23, 13.03.23, 25.05.23, 08.06.23	8

24	बस्ती	बस्ती	15.06.22,20.07.22,28.10.22	27.01.23,	4
		सीद्धार्थनगर	25.04.22, 13.05.22, 10.06.22, 08.08.22, 23.09.22	17.01.23, 16.02.23, 16.03.23, 27.04.23, 19.05.23, 9.06.23	11
		बलरामपुर	30.11.22,26.12.22	17.01.23, 21.02.23, 15.03.23, 24.05.23, 12.06.23	7
25	वारणसी	वारणसी	19.04.22, 04.05.22, 06.06.22, 19.07.22, 24.08.22, 06.09.22	10.01.23, 27.03.23	8
		संत रविदास नगर			
		जैनपुर	13.05.22, 27.12.22	12.01.23, 09.02.23, 31.05.23	5
		चंदौली	27.04.22, 28.05.22, 22.06.22, 28.07.22, 15.12.22, 28.12.22	24.03.23, 13.04.23, 30.05.23, 12.06.23	10
		यादौही	06.05.22, 22.06.22, 01.08.22, 06.09.22, 29.11.22, 19.12.22	28.01.23, 27.02.23, 25.03.23, 29.05.23	10
26	मुरादाबाद	गाजीपुर	02.05.22, 08.08.22, 26.09.22, 15.11.22	27.01.23, 25.05.23	6
		मुरादाबाद	03.01.22, 27.04.22, 31.05.22, 16.06.22, 14.07.22, 22.08.22, 09.09.22, 09.11.22, 09.12.22	06.01.23, 08.02.23, 13.03.23, 29.04.23, 26.05.23	14
		रामपुर			
		सम्भल	07.04.22, 13.05.22, 14.06.22, 16.07.22, 17.08.22, 28.09.22, 21.10.22, 30.11.22, 19.12.22	18.01.23,	10
27	बिजनौर	बिजनौर	13.05.22, 08.04.22, 07.01.22, 10.06.22, 08.07.22, 16.08.22, 29.09.22, 14.11.22, 14.12.22	16.01.23, 24.02.23, 29.03.23, 28.04.23, 29.05.23	14
		अमरोहा			
		बरौली	07.05.22, 24.06.22, 11.08.22, 22.09.22, 09.11.22	20.01.23, 20.02.23, 22.03.23, 26.04.23, 25.05.23, 16.06.23	11
28	बरौली	शाहजहाँपुर	19.04.22, 30.05.22, 10.06.22, 08.07.22, 04.08.22, 09.09.22, 18.10.22	18.01.23, 17.02.23, 23.03.23	10
		पीलीभीत	02.05.22, 09.09.22, 29.10.22, 29.11.22	19.01.23, 21.03.23, 23.05.23, 15.06.23	8
		बदायूँ	05.05.22, 09.06.22, 13.07.22, 08.08.22, 09.09.22, 11.10.22, 10.11.22	16.01.23, 23.02.23, 13.03.23, 29.04.23, 29.05.23, 09.06.23	13
बैठकों की कुल संख्या-		335	225	560	



SPEED POST/ EMAIL

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार
MINISTRY OF ENVIRONMENT FOREST & CLIMATE CHANGE GOVT OF INDIA

12.06.2023

CP-99/136/2021-AQM-HO-CPCB-HO

To,
The Municipal Commissioners
Million Plus Cities
(As per list)

Subject: Performance Assessment of 42 Million Plus Cities (MPCs) funded under Fifteenth Finance Commission for 2022-23- reg.

Sir/Madam,

Kind reference is invited to MoEF&CC's letter dated 02.06.23 (attached) regarding Performance Assessment of 42 MPCs under Fifteenth Finance commission Grant (ambient air quality component). In this regard, CPCB has carried out the Performance Assessment based on Parameter-D (annual average of PM10 & AQI good Days) for release of funds for FY 2023-24 as per DoE Guidelines. The Air Quality Data and Scores of Parameter D is attached as **Annexure I**.

Further, the following details/ documents are to be submitted through State Level Monitoring and Implementation Committee (SLMIC) by States to MoEF&CC and CPCB by 30.06.2023.

1. Recommendation of SLMICs for release of XVFC grants for FY 2023-24 to MoEF&CC as well as in Performance Assessment Module of PRANA portal.
2. Grant Transfer Certificates (GTC) and Utilization Certificates (UC) of earlier funds released to UAs/Cities.
3. Annual Action Plan for FY 2023-24 on PRANA Portal.
4. Details of activities funded through convergence of various schemes/programmes which assists in improving air quality (such as SBM2.0, Smart City Mission, AMRUT, Fame, Nagar Van Yojana etc.) on PRANA.

This Issues with approval of the Competent Authority.

Yours faithfully,

[Signature]
DH-AQM

Encl.: As above

Copy to:

- 1 The Member Secretary : For kind information and necessary action please
SPCBs (As per list)

[Signature]
DH-AQM

‘परिवेश भवन’ पर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली-110032

Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi-110032

दूरभाष/Tel : 43102030, 22305792, वेबसाइट/Website : www.cpcb.nic.in

List:

1. Municipal Commissioners (Vijayawada, Visakhapatnam, Patna, Durg Bhilainagar, Raipur Ahmedabad, Rajkot, Surat, Vadodara, Faridabad, Dhanbad, Jamshedpur, Ranchi, Bruhat Bangalore, Bhopal, Gwalior, Indore, Jabalpur, Aurangabad, Greater Mumbai, Nagpur, Nashik, Pune, Vasai-Virar, Amritsar, Ludhiana, Jodhpur, Jaipur, Kota, Chennai, Madurai, Tiruchirappalli, Hyderabad, Agra, Allahabad, Ghaziabad, Kanpur, Lucknow, Meerut, Varanasi, Asansol, Kolkata)
2. Member Secretary SPCBs (Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Gujarat, Haryana, Bihar, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Telangana, Uttar Pradesh, West Bengal)

ANNEXURE-I

CPCB**Assessment of performance in respect of Parameter 'D' - Quantification of Air Quality Improvement:**

As per DoE Guidelines, after 2021-22, for all the remaining four years of the award period, the entire weightage will be on the fourth parameter of quantification of improvement in air quality.

D. Quantification and evaluation of air quality improvements – 100 Marks

- Quantification of air quality improvement is represented by reduction in annual average particulate matter concentration and increase in good days {AQI (Air Quality Index) <200}.
- For Air Quality management and assessment purpose, the annual data is considered from April to March and herein after be called as AQ Calendar Year.
- Baseline information on City specific PM₁₀ data for year 2019-20 for all the recommended 42 Cities/ UAs as worked out by MoEF&CC is provided in Annexure II & III of Operation Guidelines issued by DoE.
- Air quality data consideration and Percentage reduction observed in annual average concentrations observed on all normal days of the year from the baseline data of Cities/ UAs would be graded as following

D.1 Air quality data consideration factors:

1. Integration of Manual Monitoring Stations and Continuous Ambient Air Quality Station' daily average data.
2. Data unavailable for a few days were computed using linear interpolation method. However, data missing continuously for more than 30 days is not considered.
3. $\pm 2 \sigma$ is considered for removing outliers.
4. If less than 75% of data is available for particular quarter, reported data for the particular quarter is not considered for reporting.

D.2 Evaluation:**i. Reduction in air pollution levels (particulate matter)**

Table A - PM ₁₀ Annual Average Concentration		
S. No.	Reduction (%) in annual average concentration	Improvement
1	15 and above	High
2	<15	Low

ii. Frequency of exceedance in AQI levels:

The number of days exceeding AQI (Moderate - 200) out of total number of normal days monitored per year would be graded as under:

Table B - Good days (AQI<200)		
S. No.	Increase in Good days (%)	Improvement
1	15 and above	High
2	<15	Low

Based on grading in Table 'A' and Table 'B' above, the combined performance factor for Air Quality Management would be graded and evaluated for the cities/ UAs as per following procedure:

S. No.	Reduction (%) in annual average concentration (from Table A)	Increase in Good days (%) (from Table B)	Performance Factor, $S_D =$ Score, S^*
1	High	High	100
2	Low	High	75
3	High	Low	50
4	Low	Low	25

Table 1 – Fund Allocation to Cities (Performance based)	
Score of the city, S	Percentage of Fund allocation from 2021-22 onward
80-100	100
60-80	75
50-60	50
40-50	25
Below 40	NIL

Assessment of Parameter – ‘D’, Quantification and evaluation of air quality improvements for release of Fund for the year 2023-24

Air Quality Data

To assess the performance of city air quality improvement for FY 2022-23 in reference to Parameter 'D' based on the Guideline, CPCB has calculated the city specific annual average PM₁₀ concentration and AQI days for FY 2022-23 in comparison to actual achieved data of FY 2021-22 for 42 million plus Cities. The calculated Air Quality Data (Table-1) and Scores of Parameter D (Table-2) are given below.

Table 1: PM ₁₀ concentration data							
S. No.	Cities	PM ₁₀ Concentration (µg/m ³)		AQI (PM ₁₀ sub-index) days			
		Average		2021-22		2022-23	
		2021-22	2022-23	<200	Total Observed days	<200	Total Observed days
		1	Chennai	55	63	357	357
2	Trichy	46	44	352	352	344	344
3	Raipur	61	70	357	357	347	347
4	Nashik	57	61	363	363	357	357
5	Vijayawada	68	72	355	355	341	341
6	Madurai*	55	67	175	175	178	178
7	Bengaluru	66	66	353	353	354	354
8	Durg Bhilainagar	60	67	336	336	339	339
9	Aurangabad	82	104	355	355	356	356
10	Nagpur	67	95	349	349	356	356
11	Pune	82	91	355	355	358	358
12	Hyderabad	87	82	363	363	361	361
13	Indore	98	105	355	355	350	350
14	Visakhapatnam	94	108	350	350	345	345
15	Kolkata	100	93	354	354	351	351
16	Jabalpur	110	121	352	352	354	354
17	Kota	107	126	351	351	360	360
18	Amritsar	116	117	351	351	355	355
19	Mumbai	102	112	358	358	357	357
20	Vadodara*	114	104	266	266	269	269
21	Surat	103	109	346	346	341	341
22	Ranchi*	106	106	261	261	268	268
23	Ludhiana	144	158	350	350	328	346
24	Ahmedabad	108	89	346	346	352	352
25	Rajkot*	111	94	268	268	268	268
26	Vasai virar#	168	162	154	179	161	174

27	Asansol	111	140	351	351	339	350
28	Jaipur	124	142	352	352	351	351
29	Gwalior	105	139	354	354	322	356
30	Jamshedpur*	111	122	272	272	270	270
31	Bhopal	110	126	353	353	350	350
32	Agra	139	115	321	351	356	358
33	Jodhpur	154	141	334	351	347	354
34	Patna	142	187	321	358	254	356
35	Varanasi	110	93	355	355	359	359
36	Kanpur*	156	127	221	265	247	263
37	Meerut	178	169	268	352	296	353
38	Dhanbad*	212	151	136	178	171	175
39	Ghaziabad	205	194	229	352	246	358
40	Lucknow	145	148	345	357	356	361
41	Allahabad	122	123	356	356	354	354
42	Faridabad	192	203	254	347	230	352

*Since, less than 75% of data is available for particular quarter, the reported data for the same particular quarter of the corresponding year is not considered for assessment.

#August and November to March, data for the assessment in 2021-22 and 2022-23 is considered.

Scores for Parameter D:

Based on the above Air Quality Data for year 2021-22 and 2022-23, Parameter D is calculated and respective scores are listed below:

S. No.	Cities	Reduction (%) in annual average concentration	Increase in Good days (%)	Interim Scores
1	Chennai	Low	High	75
2	Trichy	Low	High	75
3	Raipur	Low	High	75
4	Nashik	Low	High	75
5	Vijayawada	Low	High	75
6	Madurai*	Low	High	75
7	Bengaluru	Low	High	75
8	Durg Bhilainagar	Low	High	75
9	Aurangabad	Low	High	75
10	Nagpur	Low	High	75
11	Pune	Low	High	75
12	Hyderabad	Low	High	75
13	Indore	Low	High	75

14	Visakhapatnam	Low	High	75
15	Kolkata	Low	High	75
16	Jabalpur	Low	High	75
17	Kota	Low	High	75
18	Amritsar	Low	High	75
19	Mumbai	Low	High	75
20	Vadodara*	Low	High	75
21	Surat	Low	High	75
22	Ranchi*	Low	High	75
23	Ludhiana	Low	Low	25
24	Ahmedabad	High	High	100
25	Rajkot*	High	High	100
26	Vasai virar#	Low	Low	25
27	Asansol	Low	Low	25
28	Jaipur	Low	High	75
29	Gwalior	Low	Low	25
30	Jamshedpur*	Low	High	75
31	Bhopal	Low	High	75
32	Agra	High	Low	50
33	Jodhpur	Low	Low	25
34	Patna	Low	Low	25
35	Varanasi	High	High	100
36	Kanpur*	High	Low	50
37	Meerut	Low	Low	25
38	Dhanbad*	High	High	100
39	Ghaziabad	Low	Low	25
40	Lucknow	Low	Low	25
41	Allahabad	Low	High	75
42	Faridabad	Low	Low	25

**Performance assessment w.r.t Air Quality of 82 Non-
Attainment Cities**

June 16, 2023

Central Pollution Control Board

NATIONAL CLEAN AIR PROGRAMME

National Clean Air Programme (NCAP) – Launched in January 2019

- 131 cities – targeted for improving air quality under NCAP.
- 82 cities – funded under NCAP.
- 49 cities – funded under XV-FC.
- City action plans rolled out for improvement of air quality.
- Grant of Rs. 948.33 Crores has been released for initiating actions under city action plan during the period from FY 2019-20 to FY 22-23.
- In FY 22-23, performance linked fund of Rs 476.27 Cr have been released to cities in 5 tranches till date.
- An amount of Rs 700 Cr has been allocated to cities funded under NCAP for FY 23-24.

Criteria for assessing Performance Assessment of cities

Annual Target for Reduction in PM₁₀ concentration:

- The city wise targets for reduction of PM₁₀ concentrations for year FY 2021-22 to 2025-26 have been assigned.

Evaluation of performance for Reduction in Air pollution levels (Particulate Matter) :

$$\text{Performance factor } P = 100 \times R(A) / R(T)$$

Actual reduction in PM10 for the Assessment year- R(A), Targeted reduction of PM10 for the assessment year- R(T)

- *In case of negative score, the score is reduced to 0.*
- *The cities achieving higher reductions against targets get score of more than 100 e.g., city achieving 10% reduction against target of 8 % will get score of 125.*

Criteria for assessing Quantum of fund by Performance Assessment of cities

Performance Factor for FY 2022-23 for 82 NACs has been worked out by considering two cases:

- Comparison between PM₁₀ Conc. achieved in FY 22-23 with actual PM₁₀ conc. in FY 21-22 (preceding year) shown in Table 1
- Comparison between PM₁₀ Conc. achieved in FY 22-23 with targeted PM₁₀ conc. of FY 22-23 shown in Table 2

Summary of Assessment of Performance for FY 22-23

- 27 cities scored more than 100 marks – eligible for 100 % fund allocation along with Incentive Grants
- 6 cities scored more than 80 marks – eligible for 100% fund allocation.
- 3 cities scored between 60-80 marks - eligible for 75% fund allocation
- 1 city scored between 50-60 marks - eligible for 50 % fund allocation
- 3 cities scored between 40-50 marks - eligible for 25 % fund allocation
- 42 cities scored below 40 marks - no allocation of fund

Score of the City (S)	Percentage of Fund allocation	Cities
> 100	100 with Incentive Grants	Srinagar, Gorakhpur, Durgapur, Moradabad, Bareilly, Firozabad, Kolhapur, Gulbarga, Amravati, Nellore, Raebareli, Latur, Pathankot/Dera Baba, Khurja, Sagar, Nalagarh, Thoothukuddi, Talcher, Naya Nangal, Kohima, Sunder nagar, Haldia, Silchar, Nalgonda, Kalinga Nagar, Brynihat , Dehradun (27)
> 80 - 100	100	Nalbari, Khanna, Jalandhar, Parwanoo, Sibsagar, Alwar (6)
>60-80	75	Ujjain, Patiala, Solapur (3)
>50-60	50	Anantapur (1)
>40-50	25	Rajahmundry, Rishikesh, Chittoor, (3)

Summary of Assessment of Performance for FY 22-23

Score of the City (S)	Percentage of Fund allocation	Cities
Below 40	Nil	<p>Delhi, Chandigarh, Jhansi, Jammu, Noida, Hubli-Dharwad, Sangli, Guwahati, Rourkela, Cuttack, Bhubneshwar, Guntur, Balasore, Kashiipur, Udaipur, Nagaon, Jalgaon, Davanagere, Dewas,, Dimapur, Ongole, Kurnool, Korba, Kadapa, Vizianagaram, Gaya, Eluru, Srikakulam, Gajraula, Angul, Baddi, Anpara, Gobindgarh, Dera Bassi, Sangareddy, Paonta Sahib, Jalna,, Chandrapur, Akola, Damtal, Kala Amb, Muzaffarpur (42)</p>

THANK YOU

Table 1: Comparison between PM₁₀ conc. achieved in FY 22-23 with actual PM₁₀ Conc. in FY 21-22 (preceding year)

Sl. No.	City/ Town	Annual Average PM ₁₀ Concentration (µg/m ³) FY 2021-22	Target and Actual reduction of PM ₁₀ Concentration (µg/m ³) FY 2022-23				Performance Factor (P)
			Unit Reduction		Value Achieved		
			Actual	Target	Actual	Actual	
Above 10 Lakh							
1	Delhi	184	-20	13	204	0	
2	Srinagar*	100	15	7	85	214	
3	Chandigarh	92	-19	4	111	0	
5-10 Lakh							
4	Durgapur	158	23	8	135	288	
5	Gorakhpur	142	41	27	101	152	
6	Moradabad	151	37	22	114	168	
7	Jhansi	107	-6	6	113	0	
8	Bareilly	159	45	13	114	346	
9	Noida	191	-6	16	197	0	
10	Firozabad	136	33	17	103	194	
11	Jammu*	155	-20	10	175	0	
12	Hubli-Dharwad	65	-8	4	73	0	
13	Kolhapur	78	2	5	76	40	
14	Sangli	57	-8	3	65	0	
15	Solapur	55	-23	4	78	0	
16	Guwahati	96	-4	6	100	0	
17	Dehradun	137	10	12	127	83	
18	Gulbarga	78	11	4	67	275	
19	Jalandhar	130	7	7	123	100	
20	Rourkela	107	-16	6	123	0	
21	Amravati	66	-3	4	69	0	



Sl. No.	City/Town	Annual Average PM ₁₀ Concentration (µg/m ³) FY 2021-22	Target and Actual reduction of PM ₁₀ Concentration (µg/m ³) FY 2022-23				Performance Factor (P)
			Unit Reduction		Value Achieved		
			Actual	Target	Actual	Actual	
5-10 Lakh							
22	Cuttack	88	-17	6	105	0	
23	Bhubaneswar	91	-8	5	99	0	
24	Ujjain	110	3	4	107	75	
25	Nellore	55	-1	3	56	0	
26	Guntur	58	-2	2	60	0	
1-5 Lakh							
27	Khanna	104	5	6	99	83	
28	Raebareli	114	11	10	103	110	
29	Rishikesh*	109	-13	8	122	0	
30	Balasore	74	-7	4	81	0	
31	Kashipur**	124	2	8	122	25	
32	Udaipur	122	-7	8	129	0	
33	Chittoor	48	-1	2	49	0	
34	Nagaon*	98	-10	4	108	0	
35	Jalgaon	59	-6	2	65	0	
36	Latur	57	4	4	53	100	
37	Akola	63	0	3	63	0	
38	Jalna	93	0	5	93	0	
39	Chandrapur	103	-20	5	123	0	
40	Muzaffarpur	147	-24	7	171	0	
41	Rajahmundry	66	1	2	65	50	
42	Dera Baba Nanak/ Pathankot*	72	14	3	58	467	

Sl. No.	City/Town	Annual Average PM ₁₀ Concentration (µg/m ³) FY 2021-22	Target and Actual reduction of PM ₁₀ Concentration (µg/m ³) FY 2022-23			Performance Factor (P)
			Actual	Target	Value Achieved	
1-5 Lakh						
43	Haldia	93	6	3	87	200
44	Devanagere	53	-7	3	60	0
45	Alwar	110	0	7	110	0
46	Khurja	158	3	21	155	14
47	Patiala	103	4	5	99	80
48	Thoothukudi	67	14	4	53	350
49	Silchar*	47	7	2	40	350
50	Dewas	79	-21	5	100	0
51	Sagar*	61	1	3	60	33
52	Dimapur	78	-15	4	93	0
53	Ongole*	53	-24	3	77	0
54	Anantapur	49	-6	3	55	0
55	Nalgonda	71	17	3	54	567
56	Kurnool	60	-3	2	63	0
57	Kadapa	54	-1	2	55	0
58	Korba*	60	-6	2	66	0
59	Vizianagaram	71	-3	3	74	0
60	Gaya	93	-49	4	142	0
61	Eluru	66	0	3	66	0
62	Srikakulam	72	1	3	71	33
Less than 1 Lakh						
63	Nalagarh	82	8	7	74	114
64	Gajraula	165	-24	17	189	0

Sl. No.	City/Town	Annual Average PM ₁₀ Concentration (µg/m ³) FY 2021-22	Target and Actual reduction of PM ₁₀ Concentration (µg/m ³) FY 2022-23				Performance Factor (P)
			Unit Reduction		Value Achieved		
			Actual	Target	Actual	Actual	
Less than 1 Lakh							
65	Kalinga Nagar	113	10	6	103	167	
66	Angul	96	-6	5	102	0	
67	Baddi	129	-7	8	136	0	
68	Anpara	155	-8	12	163	0	
69	Byrnihat*	177	56	5	121	1120	
70	Gobindgarh	115	-12	8	127	0	
71	Nalbari	91	3	3	88	100	
72	Talcher	77	-8	6	85	0	
73	Naya Nangal	65	3	5	62	60	
74	Dera Bassi	97	-7	5	104	0	
75	Sangareddy	80	-7	4	87	0	
76	Kohima	67	-3	4	70	0	
77	Paonta Sahib	87	-16	4	103	0	
78	Sunder Nagar	46	0	3	46	0	
79	Damtal	63	-	-	62	0	
80	Parwanoo*	35	-	-	42	100	
81	Sibsagar	45	-	-	38	100	
82	Kala Amb	110	-	-	95	0	

*Only common quarters' data for both year (2021-22 & 2022-23) has been considered for assessment.

Note 1: Only one, two, and/or three quarter data is considered since, less than 75% of data is available for other quarter.

Note 2: Cities (Sl. No. 80 and 81) have been given 100% performance factor as they are having population less than 1 lakh and meeting PM₁₀ standards of 60 (µg/m³) and are able to maintain or reduce the PM₁₀ average annual concentration from the base line value of 2019-20

Note 3: Cities (SI 79 & 82) having population less than 1 lakh and PM₁₀ standards of 60 (µg/m³) was not able to maintain or reduce from the base line value of 2019-20.



Table 2: Comparison between PM10 conc. achieved in FY 2022-23 with Targeted PM10 value of FY 2022-23

Sl. No.	City/Town	Annual Average PM ₁₀ Conc. (µg/m ³) FY 2019-20 (Base line)	PM ₁₀ Conc. (µg/m ³) reduction Target for FY 2021-22	Target Annual Average PM ₁₀ Conc. Actual (µg/m ³) FY 2021-22	Target and Actual reduction of PM ₁₀ Concentration (µg/m ³) FY 2022-23				Performance Factor (P)
					Actual	Target	Actual	Target	
Above 10 Lakh									
1	Delhi	178	14	164	-40	13	204	151	0
2	Srinagar	122	8	114	29	7	85	107	414
3	Chandigarh	88	5	83	-28	4	111	79	0
5-10 Lakh									
4	Durgapur	129	8	121	-14	8	135	113	0
5	Gorakhpur	280	31	249	148	27	101	222	548
6	Moradabad	247	25	222	108	22	114	200	491
7	Jhansi	102	6	96	-17	6	113	90	0
8	Bareilly	178	14	164	50	13	114	151	385
9	Noida	203	18	185	-12	16	197	169	0
10	Firozabad	205	18	187	84	17	103	170	494
11	Jammu	146	10	136	-39	10	175	126	0
12	Hubli-Dharwad	76	4	72	-1	4	73	68	0
13	Kolhapur	90	5	85	9	5	76	80	180
14	Sangli	67	3	64	-1	3	65	61	0
15	Solapur	86	5	81	3	4	78	77	75
16	Guwahati	106	6	100	0	6	100	94	0
17	Dehradun	166	13	153	26	12	127	141	217
18	Gulbarga	129	8	78	11	4	67	74	275
19	Jalandhar	118	7	111	-12	7	123	104	0
20	Rourkela	110	7	103	-20	6	123	97	0
21	Amravati	88	5	83	14	4	69	79	350



Sl. No.	City/ Town	Annual Average PM10 Concentration (µg/m3) FY 2019-20 (Base line)	PM10 Concentration (µg/m3) reduction Target for FY 2021-22	Target Annual Average PM10 Concentration Actual (µg/m3) FY 2021-22	Target and Actual reduction of PM ₁₀ Concentration (µg/m3) FY 2022-23				Performance Factor (P)
					Unit Reduction		Value Achieved		
					Actual	Target	Actual	Target	
5-10 Lakh									
22	Cuttack	102	6	96	-9	6	105	90	0
23	Bhubaneswar	98	6	92	-7	5	99	87	0
24	Ujjain	88	5	83	-24	4	107	79	0
25	Nellore	67	3	64	8	3	56	61	267
26	Guntur	57	3	54	-6	2	60	52	0
1-5 Lakh									
27	Khanna	106	6	100	1	6	99	94	17
28	Raebareli	152	11	141	38	10	103	131	380
29	Rishikesh	135	9	126	4	8	122	118	50
30	Balasure	86	5	81	0	4	81	77	0
31	Kashipur	126	8	118	-4	8	122	110	0
32	Udaipur	130	9	121	-8	8	129	113	0
33	Chittoor	52	2	50	1	2	49	48	50
34	Nagaon	88	5	83	-25	4	108	79	0
35	Jalgaon	56	3	53	-12	2	65	51	0
36	Latur	82	4	78	25	4	53	74	625
37	Akola	67	3	64	1	3	63	61	33
38	Jalna	95	5	90	-3	5	93	85	0
39	Chandrapur	90	5	85	-38	5	123	80	0
40	Muzaffarpur	124	8	116	-55	7	171	109	0
41	Rajahmundry	59	3	56	-9	2	65	54	0
42	Dera Baba Nanak/ Pathankot	70	3	67	9	3	58	64	300

Sl. No.	City/ Town	Annual Average PM ₁₀ Conc. (µg/m ³) FY 2019-20 (Base line)	PM ₁₀ Conc. (µg/m ³) reduction Target for FY 2021-22	Target Annual Average PM ₁₀ Conc Actual (µg/m ³) FY 2021-22	Target and Actual reduction of PM ₁₀ Concentration (µg/m ³) FY 2022-23				Performance Factor (P)
					Unit Reduction		Value Achieved		
					Actual	Target	Actual	Target	
1-5 Lakh									
43	Haldia	71	3	68	-19	3	87	65	0
44	Devanagere	63	3	60	0	3	60	57	0
45	Alwar	125	8	117	7	7	110	110	100
46	Khurja	236	23	213	58	21	155	192	276
47	Patiala	98	6	92	-7	5	99	87	0
48	Thoothukudi	84	4	80	27	4	53	76	675
49	Silchar	44	2	42	2	2	40	40	100
50	Dewas	89	5	84	-16	5	100	79	0
51	Sagar	72	4	68	8	3	60	65	267
52	Dimapur	83	4	79	-14	4	93	75	0
53	Ongole	60	3	57	-20	3	77	54	0
54	Anantapur	60	3	57	2	3	55	54	67
55	Nalgonda	59	3	56	2	3	54	53	67
56	Kurnool	56	2	54	-9	2	63	52	0
57	Kadapa	47	2	45	-10	2	55	43	0
58	Korba	52	2	50	-16	2	66	48	0
59	Vizianagaram	67	3	64	-10	3	74	61	0
60	Gaya	79	4	75	-67	4	142	71	0
61	Eluru	64	3	61	-5	3	66	58	0
62	Srikakulam	65	3	62	-9	3	71	59	0
Less than 1 Lakh									
63	Nalagarh	115	7	108	34	7	74	101	486
64	Gajraula	211	19	192	3	17	189	175	18

Sl. No.	City/ Town	Annual Average PM ₁₀ Conc. (µg/m ³) FY 2019-20 (Base line)	PM ₁₀ Conc. (µg/m ³) reduction Target for FY 2021-22	Target Annual Average PM ₁₀ Conc Actual (µg/m ³) FY 2021-22	Target and Actual reduction of PM ₁₀ Concentration (µg/m ³) FY 2022-23				Performance Factor (P)
					Unit Reduction		Value Achieved		
					Actual	Target	Actual	Target	
Less than 1 Lakh									
65	Kalinga Nagar	104	6	98	-5	6	103	92	0
66	Angul	95	5	90	-12	5	102	85	0
67	Baddi	133	9	124	-12	8	136	116	0
68	Anpara	171	30	158	-5	12	163	146	0
69	Byrnihat	98	6	92	-29	5	121	87	0
70	Gobindgarh	127	8	119	-8	8	127	111	0
71	Nalbari	75	4	71	-17	3	88	68	0
72	Talcher	107	6	101	16	6	85	95	267
73	Naya Nangal	99	6	93	31	5	62	88	620
74	Dera Bassi	99	6	93	-11	5	104	88	0
75	Sangareddy	85	5	80	-7	4	87	76	0
76	Kohima	80	4	76	6	4	70	72	150
77	Paonta Sahib	78	4	74	-29	4	103	70	0
78	Sunder Nagar	68	3	65	19	3	46	62	633
79	Damtal	50	-	50	-	-	62	-	0
80	Parwanoo	59	-	59	-	-	42	-	100
81	Sibsagar	55	-	55	-	-	38	-	100
82	Kala Amb	50	-	50	-	-	95	-	0

*Only common quarters' data for both year (2021-22 & 2022-23) has been considered for assessment.

Note 1: Only one, two, and/or three quarter data is considered since, less than 75% of data is available for other quarter.

Note 2: Cities (Sl. No. 80 and 81) have been given 100% performance factor as they are having population less than 1 lakh and meeting PM₁₀ standards of 60 (µg/m³) and are able to maintain or reduce the PM₁₀ average annual concentration from the base line value of 2019-20

Note 3: Cities (Sl. No. 70 & 69) having population less than 1 lakh and DM standards of 40 (µg/m³) were not able to maintain or reduce from the base line value of 2019-20

Criteria for Performance Assessment of cities

Air quality data consideration factors:

- Integration of Manual Monitoring Stations and Continuous Ambient Air Quality Station ' daily average data.
- Data unavailable for a few days were computed using linear interpolation method. However, data missing continuously for more than 30 days is not considered.
- $\pm 2 \sigma$ is considered for removing outliers.
- If less than 75% of data is available for particular Quarter, reported data for the particular quarter is not considered for reporting.

Step by Step procedure of calculation:
1.0 Find missing values of PM₁₀ using following formula for Linear Interpolation:

S. No.	Rationale
1	Missing values between the days are computed based on Linear interpolation method Linear interpolation method: $R_n = R_1 + \frac{R_2 - R_1}{t_2 - t_1} \times (t_n - t_1)$ Where, R _n = Unknown PM10 average between R1 & R2 R1 = Known PM10 average before missing day R2 = Known PM10 average after missing day t1 = day of R1 t2 = day of R2 t _n = day of R _n
2	Continuos unavailability of data for more than 30 days is considered as no data <i>Rare scenario</i>
3	If a first value of the range is unavailable, average of first 30 days is considered as initial value
4	If a last value of the range is unavailable, average of last 30 days is considered as last value

2.0 If less than 75% of interpolated data is available for particular Quarter, reported data for the particular quarter is not considered for both years.

3.0 Outlier's removal: First, average value of PM10 Conc. of considered quarters' data along with standard deviation value (σ) is calculated. After that, average value is subtracted from each value of PM10, if its resultant value falls outside of ±2 σ, then that value of PM10 is not considered.

4.0 Now, Average annual PM10 Conc. is calculated after removal of outliers for both years for comparison between two years' values.

5.0 AQI Good Days: Number of days having the PM₁₀ concentration ≤250 µg/m³ (AQI<200) is considered as Good days as per DoE Guideline.

Brief Note on Solid Waste Management (Urban Area)**Current Status (Urban Area)**

- Number of ULBs- 734
- Waste Generated in the urban area is **14,710 TPD**.
- Waste collection-**100%**
- Segregation – **12,504 TPD (85%)**
- Waste Processed- **10,117 TPD (68%)**.
 - **19 integrated SW Processing Plants** with capacity of **5,865 TPD**.
 - **534 MRFs** are setup in 534 ULBs with capacity of **2,670 TPD**.
 - **850 Compost pits** with treatment capacity **1,314 TPD**.
 - **03 WtE Plants** with capacity **268 TPD (PPP Mode)**.

Way Ahead

- State has prepared a timebound action plan for attending the current gap of 4593 TPD.
- Additional processing capacity to **7,526 TPD** by **Dec, 2023** and total processing capacity shall be **17,643 TPD**.

Plant details	Timeline	Fund Tied up (Rs Cr.)		
		Central	State	Total Fund
36 integrated SW Plants with capacity of 4,305 TPD.	Dec, 23	129.64	240.76	370.41
94 MRFs with capacity of 470 TPD	Mar. 23	11.08	20.57	31.65
343 MRFs with capacity of 1715 TPD	Dec,23	12.3	22.84	35.14
226 Compost pits with capacity 1036 TPD	Dec,23	0.42	0.78	1.2
Grand Total Fund (Rs)Cr.		153.44	284.95	438.39

Future plan:

- Additional processing capacity of **6,280 TPD** by **March 2025**, henceforth total Solid Waste processing capacity shall become **23,923 TPD**.
 - **11 integrated Solid Waste Processing Plants** with processing capacity of **695 TPD. (Dec-2024) (Fund of Rs. 105 Cr. is Approved)**
 - **8 segregated Dry waste & Composting**, capacity **485 TPD. (Dec-2024)**
 - **5 Bio-CNG plants** of **1300 TPD** and **3 WtE plant** of **3,800 TPD. (March-25)**

Note

- **100% Processing of MSW by Dec -23**
- **Projects to meet Gap already grounded.**
- **Funds ring-fenced in respective project accounts**

Brief Note on Solid Waste Management (Rural Area)

Current Status (Rural Area)

- Number of Gram Panchayat (GPs)- **57,785**
- Waste Generated -**11,959**.
- Waste Processed- **3,000 TPD**

Way Ahead

- Target for ODF+ for all GPs as per SBM(GRAMIN)2.0- 2024-25

Target Year for ODF+	GPs	Villages	Fund (Cr)
2022-23	4,656	6,000	562
2023-24	25,145	43,000	330
2024-25	27,984	46,829	379
Total	57,785	95,829	

Note

- 100% Coverage of MSW generated – **Mar-25**
- Plants are on-ground to meet the Gap.
- Financial grant tied up from the fund **SBM 2.0 (Gramin)** and **15th Finance Commission**

Brief Note on Legacy Waste Management

Current Status

- In the State of Uttar Pradesh Total Reported Legacy Waste is approximately **91 Lakh Tons** at **75 Sites**.

Way Ahead

- State has remediated **58 Lakh Ton** Legacy Waste till now and has proposed to remediate all remaining Legacy Waste (**33 Lakh Ton**) by **March 2024**.

Timeline	No. of site	Qty of legacy waste remediation going on (Lakh Ton)
Till March 2023-June 2023	8	2
July 2023 to December 2023	22	24
January 2024 to March 2024	18	7
Total	48	33

- Total Fund granted for remediation of above 48 lakh ton legacy waste is approx. **Rs 222.119 Cr.**
(Central Share- Rs. 0.119 Cr & State Share – Rs. 222 Cr.)

Note

- **100% Remediation of Legacy waste by Mar-24**
- **Projects to meet Gap already grounded.**
- **Funds ring-fenced in respective project accounts**

Brief Note on Sewage Management

Current Status

- Total Sewage Generated in the State is **5,500 MLD**.
- **122 STPs** with treatment capacity of **3,860 MLD** are operational.
- Utilization of Existing Capacity is **2,495 MLD**.

Way Ahead

- State has prepared a timebound action plan for attending the current **gap of 1,640 MLD** of Used water generated and treatment.
- Additional treatment capacity to **1,858 MLD** by **June, 2025** and total treatment capacity shall be **5,718 MLD**.

STPs details	Timeline	Fund Tied up (Rs Cr.)		
		Central	State	Total Fund
1004 MLD (52 STPs). (Under Construction)	Dec, 24	5,478.36	959.61	6,437.97
854 MLD (15 STPs). (Under Tendering)	June , 25	3,766	1,139.69	4,905.05
Grand Total Fund (Rs)Cr.		9,244.36	2,099.3	11,343.6

- State shall have treatment capacity of **5,718 MLD** by **June 2025** and gap shall be zero in between Sewage generation and treatment.

Future plan

- **317 STPs** with treatment capacity of **1,593 MLD** are proposed to install by **Dec. 2025**. Hence total Used water treatment capacity shall become **7,311 MLD**

STPs details	Timeline	Fund to be issued (Rs Cr.)		
		Central	State	Total Fund
1,593 MLD (317 STPs Proposed)	Dec, 25	8,329.88	3,600.12	11,930.02

Note

- **100% treatment of used water by June 2025.**
- **Projects to meet Gap already grounded.**
- **Funds for under construction projects are ring-fenced in respective project accounts**

प्रदेश के प्रमुख नदियों की प्रदूषित स्ट्रेच की वित्तीय वर्ष-2022-23 में प्राप्त जलगुणता का वर्ष-2019-20 के सापेक्ष तुलनात्मक विवरण-

उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदेश के प्रमुख नदियों/अन्य जल स्रोतों में कुल 141 चिन्हित बिन्दुओं पर नियमित रूप से जलगुणता का अनुश्रवण किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत प्रदेश की प्रमुख 14 नदियों यथा यमुना, वरुणा, काली, हिण्डन, गोमती, गंगा, रामगंगा, बेतवा, घाघरा, राप्ती, सरयू, आमी, तमसा तथा सई के पाल्यूटेड रिवर स्ट्रेच में कुल 100 बिन्दु सम्मिलित है। प्रदेश के प्रमुख 14 नदियों के पाल्यूटेड रिवर स्ट्रेच में वित्तीय वर्ष -2022-23 का वर्ष -2019-20 के सापेक्ष पायी गयी जल गुणता में सुधार का विवरण निम्नवत् है:-

(क) घुलित आक्सीजन की मात्रा (डी०ओ०) में वृद्धि:-

प्रदेश के प्रमुख 14 नदियों के पाल्यूटेड रिवर स्ट्रेच में 2022-23 का वर्ष-2019-20 के सापेक्ष जलगुणता में कुल 100 नमूना एकत्रण बिन्दुओं में से 44 बिन्दुओं पर घुलित आक्सीजन की मात्रा में 0.54 प्रतिशत से 261.13 प्रतिशत तक की वृद्धि पायी गयी है, जोकि जलगुणता में सुधार का द्योतक है। सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि 261.13 प्रतिशत यमुना नदी में डाउन स्टीम विलेज, तिलवारा, नोएडा बिन्दु पर पायी गयी।

(ख) बायो केमिकल आक्सीजन डिमाण्ड (बी०ओ०डी०) में सुधार:-

प्रदेश के प्रमुख 14 नदियों के पाल्यूटेड रिवर स्ट्रेच में वित्तीय वर्ष-2022-23 का वर्ष-2019-20 के सापेक्ष जलगुणता में कुल 100 नमूना एकत्रण बिन्दुओं में से 48 बिन्दुओं पर जलगुणता के प्रमुख प्रदूषणकारी प्रचालक बायोकेमिकल आक्सीजन डिमाण्ड (बी०ओ०डी०) की मात्रा में 1.40 प्रतिशत से 50.49 प्रतिशत तक की कमी पायी गयी है, जोकि जलगुणता में सुधार का द्योतक है। सर्वाधिक प्रतिशत कमी 50.49 प्रतिशत हिण्डन नदी के छिजार्सी ब्रिज, गाजियाबाद बिन्दु पर पायी गयी।

(ग) टोटल कोलीफार्म (टी०सी०) में सुधार:-

प्रदेश के प्रमुख 14 नदियों के पाल्यूटेड रिवर स्ट्रेच में वित्तीय वर्ष -2022-23 का वर्ष-2019-20 के सापेक्ष जलगुणता में कुल 100 नमूना एकत्रण बिन्दुओं में से 54 बिन्दुओं पर जलगुणता के प्रमुख प्रदूषणकारी प्रचालक टोटल कोलीफार्म (टी०सी०) की मात्रा में 0.20 प्रतिशत से 95.30 प्रतिशत तक की कमी पायी गयी है, जोकि जलगुणता में सुधार का द्योतक है। सर्वाधिक प्रतिशत कमी 95.30 प्रतिशत रामगंगा नदी के मुरादाबाद रामपुर रोड ब्रिज, मुरादाबाद बिन्दु पर पायी गयी।

**COMPARATIVE PERCENTAGE IMPROVEMENT IN RIVER
WATER QUALITY IN TERMS OF DO IN FINANCIAL YEAR
2022-23 AS COMPARED TO FINANCIAL YEAR 2019-20**

Critically Polluted River Stretch	No. of Monitoring Locations	No. of Monitoring Locations showing improvement of river water quality	% Improvement in DO value in 2022-23 as compared to 2019-20
Hindon	07	02	39.30-46.02
Kali Nadi East	10	01	38.01
Varuna	02	01	33.50
Yamuna	20	16	4.56-261.13
Gomti	11	02	0.54-3.26
Ganga	22	09	1.77-10.31
Ranganga	06	01	4.87
Rapti	02	02	6.46-6.95
Sai	08	02	2.61-3.58
Ghaghra	02	02	2.77-6.74
Ami	03	03	3.30-32.95
Tamsa	05	03	20.40-43.96
Betwa	01	00	-
Saryu	01	00	-
Total	100	44	Range of Improvement: 0.54 to 261.13

**COMPARATIVE PERCENTAGE IMPROVEMENT IN RIVER
WATER QUALITY IN TERMS OF BOD IN FINANCIAL YEAR
2022-23 AS COMPARED TO FINANCIAL YEAR 2019-20**

Critically Polluted River Stretch	No. of Monitoring Locations	No. of Monitoring Locations showing improvement of river water quality	% Reduction in BOD value in 2022-23 as compared to 2019-20
Hindon	07	06	9.51-50.49
Kali Nadi East	10	07	4.12-25.59
Varuna	02	01	38.33
Yamuna	20	08	8.61-28.89
Gomti	11	05	2.60-16.64
Ganga	22	04	2.34-9.60
Ranganga	06	05	1.40-31.12
Betwa	01	01	44.49
Rapti	02	02	5.88-31.50
Sai	08	02	1.61-19.39
Ghaghra	02	02	7.53-12.45
Ami	03	02	18.18-36.70
Tamsa	05	03	24.68-39.49
Saryu	01	00	-
Total	100	48	Range of Improvement: 1.40 to 50.49

**COMPARATIVE PERCENTAGE IMPROVEMENT IN RIVER
WATER QUALITY IN TERMS OF TC IN FINANCIAL YEAR 2022-23
AS COMPARED TO FINANCIAL YEAR 2019-20**

Critically Polluted River Stretch	No. of Monitoring Locations	No. of Monitoring Locations showing improvement of river water quality	% Reduction in TC value in 2022-23 as compared to 2019-20
Hindon	07	01	11.21
Kali Nadi East	10	01	5.67
Varuna	02	01	75.43
Yamuna	20	11	1.83-83.65
Gomti	11	11	1.26-80.97
Ganga	22	18	1.28-89.12
Ramganga	06	06	5.35-95.30
Rapti	02	01	0.20
Sai	08	02	2.48-43.37
Ghaghra	02	01	12.27
Saryu	01	01	54.99
Betwa	01	00	-
Ami	03	00	-
Tamsa	05	00	-
Total	100	54	Range of Improvement: 0.20 to 95.30

Minutes of the meeting held by Chief Secretary, Government of U.P. with the Oversight Committee, NGT, UP on 29.06.2023 in compliance of directions issued by the Hon'ble NGT vide order dated 30.11.2022 in MA No. 91/2022 (O.A. No. 670/2018) Atul Singh Chauhan Vs. MoEF&CC & Ors.

1. Hon'ble NGT passed order dated 30.11.2022 in MA No. 91/2022 (O.A. No. 670/2018) Atul Singh Chauhan vs MoEF&CC & Ors. in the matter of functioning of Oversight Committee in the State of Uttar Pradesh after considering an application filed by the State of Uttar Pradesh. The operative portion of the order dated 30.11.2022 is reproduced below:

..... "5. It is now stated by the State that the Committee has monitored compliance of environmental issues in the last three years but in the changed situation, the State itself is in a position to effectively monitor compliance of all environmental issues by its own mechanism.

6. While stringent monitoring of compliance of environmental norms remains a challenge, Tribunal appointed Oversight Committee cannot be in perpetuity. Thus, while placing on record our appreciation for the work of the Oversight Committee, we can have no objection to the request of the State to evolve its own mechanism.

7. Accordingly, the Chief Secretary, UP may interact with the Committee for modalities to take over its work by a suitable mechanism, giving reasonable time to the Committee for the transition. "

2. In compliance with the Hon'ble NGT order dated 30.11.2022, a meeting was held by Chief Secretary, Govt. of U.P. in his chamber with the Chairman and Member of Oversight Committee on 29.06.2023 for chalking out the modalities of transition of the work of the Committee to the Monitoring Mechanism developed by the State. Secretary, DoEF&CC (Mr. Ashish Tiwari) and Member Secretary, UP Pollution Control Board (Mr Ajay Kumar Sharma) were also present.

3. Chief Secretary apprised the Oversight Committee about the three tier Monitoring Mechanism functioning effectively under his supervision in the State. He briefed the Oversight Committee in detail about the monitoring mechanism through different committees which include **District Environmental Committees** at the District Level under the chairmanship of District Magistrates; and three thematic monitoring committees at the State Level namely **Air Quality Monitoring Committee** under the chairmanship of the Additional Chief Secretary, Environment, Forest and Climate Change; **Waste Management Committee** under the chairmanship of Principal Secretary, Urban Development and **River Rejuvenation Committee** under the chairmanship of Agriculture Production Commissioner. These committees are functioning and are regularly monitoring the implementation of the Orders of Hon'ble Tribunal along with other Environmental Compliances in the State. **Chief Secretary, Government of U.P. informed that he also monitors important environment related matters and the orders passed by Hon'ble NGT from time to time.** The three tier

Monitoring Mechanism is fully established in the State and is functioning effectively. The status of compliance of various orders passed by Hon'ble NGT is being very effectively monitored through this mechanism.

4. Chief Secretary further informed the Oversight Committee that this three tier Monitoring Mechanism has resulted in various positive trends in environment. As a result of effective monitoring through this mechanism, overall improvement of Air Quality has been observed in most of the Non-Attainment Cities. It has resulted in bridging the gap of generated solid waste and its disposal. The gap of sewage generation and its effective disposal has been reduced in time bound manner which has resulted in improvement of river water quality in various stretches of river Ganga and its tributaries. During this period, a milestone has been achieved in Khanchandpur, Rania, Kanpur Dehat, where around 90,000 MT Chromium Waste lying illegally for nearly five decades was successfully lifted and disposed off scientifically through existing Common Facilities. This has resulted in improvement of ground water quality of that area. This is the first of its kind work in the Country where such a huge quantity of hazardous Chromium Waste has been successfully disposed off in record time.

5. Oversight Committee apprised the Chief Secretary, Government of U.P. that according to the order of Hon'ble Tribunal, the alternative mechanism has to be effective and credible, and decision in this regard has to be taken by the Hon'ble Tribunal. Therefore, if the alternative mechanism is shared with it in writing, it will send the same to the Hon'ble NGT for final order in this regard. On this, Chief Secretary stated that Hon'ble Tribunal has directed Chief Secretary, Government of U.P. to interact with the Committee for modalities to take over its work by a suitable mechanism, giving reasonable time to the Committee for the transition. After discussing about the reasonable time for transition, it was firmed up that 45 days are adequate for the smooth transition. It will give adequate time to the Committee to wind up its activities and handover all heads to the Department of Environment, Forest & Climate Change. It will also give opportunity to State Pollution Control Board to lay off the outsource personnel and get hold of all the official assets.

6. Hence, it was informed to the Committee that in compliance of the direction of Hon'ble Tribunal dated 30.11.2022, and in view of the three tier Monitoring Mechanism was effectively working in the State, it will completely take over and look after all the work of Oversight Committee with effect from 01.09.2023. Chief Secretary directed the Department of Environment, Forest and Climate Change, Government of Uttar Pradesh to receive official records along with office equipments, furnitures and building space etc. from the Committee within this time. Uttar Pradesh Pollution Control Board was directed to serve appropriate notice to office staff of the Committee, if necessary, for discontinuing their services from 01.09.2023.

File No.81-7005(099)/246/2020-07-,

7. Chief Secretary informed the Committee that the State Government will file its application before the Hon'ble NGT and copy of the same will be sent to the Committee.
8. The meeting concluded with expressing gratitude to the Oversight Committee for providing guidance to the State in ensuring effective implementation of the Orders of Hon'ble NGT during the last 3 years.

Signed by मनोज सिंह
Date: 13-07-2023 13:11:56
Reason: Approved
(Manoj Singh)
Addl. Chief Secretary.

Government of Uttar Pradesh
Environment, Forest & Climate Change Section-7
Letter No. ^{NGT}305/81-7-202-44(Writ)/2016
Lucknow : Dated : 13 July, 2023

Copy to:-

1. Agriculture Production Commissioner, Uttar Pradesh Lucknow.
2. Principal Secretary, Urban Development Department, GoUP.
3. PPS to Hon'ble Chairman, Oversight Committee, NGT, Uttar Pradesh Lucknow.
4. PS to Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh.
5. Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow.
6. Guard file.

(Manoj Singh)
Addl. Chief Secretary.